"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2016—आश्विन 8, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्रमांक ई-1-9/2016/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015/05/2016-एआईएस (I)-बी, दिनांक 30-08-2016 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा नियुक्त अधिकारी श्री अनुराग पाण्डेय, उप संचालक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग) को जिला प्रशिक्षण के लिये कलेक्टरेट, रायपुर में कार्यभार ग्रहण के दिनांक से छ:माह (परिवीक्षा अवधि) के लिये स्थानापन्न, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी पदस्थ किया जाता है.

2. श्री अनुराग पाण्डेय, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्टरेट, रायपुर के पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के अंतर्गत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, ऊपर बताये नियमों की अनुसूची 3-बी में सम्मिलित अपर कलेक्टर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

नया रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्रमांक ई-1-01/2016/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री धर्मेश कुमार साहू, भा.प्र.से. उपायुक्त, संभागायुक्त कार्यालय बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त रजिस्ट्रार, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

श्री साहू भा.प्र.से. द्वारा रजिस्ट्रार, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से रजिस्ट्रार, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ के असंवर्गीय पद का राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2016

क्रमांक 1479/1067/अव./2015/1-8/स्था.—श्री व्ही. के. छबलानी, प्रबंध संचालक, सी.आई.डी.सी. एवं विशेष सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अर्जित अवकाश	दिनांक 06-08-2015 से 21-08-2015 तक	16 दिवस
लघुकृत अवकाश	दिनांक 14-09-2015 से 12-10-2015 तक	29 दिवस
अर्जित अवकाश	दिनांक 16-05-2016 से 20-05-2016 तक	05 दिवस
अर्जित अवकाश	दिनांक 25-07-2016 से 03-08-2016 तक	10 दिवस

2. अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. छबलानी आगामी आदेश तक विशेष सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री व्ही. के. छबलानी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. के. छबलानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2016

क्रमांक 1483/257/2016/1-8/स्था.—श्री अतुल कुलश्रेष्ठ, शोध अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 02-06-2016 से 17-06-2016 तक 16 दिवस का (दिनांक 18, 19, 20-06-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुलश्रेष्ठ आगामी आदेश तक शोध अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अतुल कुलश्रेष्ठ को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अतुल कुलश्रेष्ठ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्रमांक 1517/2748/2015/1-8/स्था.—श्री नीरज कुमार मिश्रा, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 08-08-2016 से 19-08-2016 तक 12 दिवस का (दिनांक 07, 20, 21-08-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री नीरज कुमार मिश्रा आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री नीरज कुमार मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज कुमार मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्रमांक 1519/3186/2015/1-8/स्था.—श्री महेश साकल्ले, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 16-08-2016 से 19-08-2016 तक 04 दिवस का (दिनांक 13, 14, 15, 20, 21-08-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री महेश साकल्ले आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री महेश साकल्ले को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश साकल्ले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्रमांक 1521/1010/2015/1-8/स्था.—श्रीमती इफ्फत आरा, संयुक्त सचिव, खनिज साधन विभाग को दिनांक 21-07-2016 से 27-07-2016 तक 07 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती इफ्फत आरा आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती इफ्फत आरा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती इफ्फत आरा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्रमांक 1523/485/2010/1-8/स्था.—श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 16-08-2016 से 19-08-2016 तक 04 दिवस का (दिनांक 13, 14, 15, 20, 21-08-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. सोनी आगामी आदेश तक अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बी. एल. सोनी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एल. सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्रमांक 1535/951/2013/1-8/स्था.—श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, वरिष्ठ ग्रंथपाल, सामान्य प्रशासन विभाग (ग्रंथपाल) को दिनांक 22-08-2016 से 31-08-2016 तक 10 दिवस का (दिनांक 20, 21-08-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा आगामी आदेश तक वरिष्ठ ग्रंथपाल, सामान्य प्रशासन विभाग (ग्रंथपाल) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्रमांक 1541/435/2013/1-8/स्था.—श्रीमती दुर्गा देवांगन, अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 22-07-2016 से 28-07-2016 तक 07 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा देवांगन आगामी आदेश तक अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती दुर्गा देवांगन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दुर्गा देवांगन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नया रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2016

क्रमांक 1567/113/2003/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, उप सचिव, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को दिनांक 01-08-2016 से 06-08-2016 तक 06 दिवस का (दिनांक 31-07-2016 एवं 07-08-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. आर. मालवीय आगामी आदेश तक उप सचिव, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जी. आर. मालवीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. आर. मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2016

क्रमांक 1569/53/2013/1-8/स्था.—श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे, अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 01-08-2016 से 12-08-2016 तक 12 दिवस का (दिनांक 31-07-2016 एवं 13, 14, 15-08-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे आगामी आदेश तक अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा (4) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा घोषित करती है, कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर उपखण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, अर्थात :—

अनुसूची

जिलाः— जांजगीर—चांपा, तहसीलः—जांजगीर, वनमंडलः—जांजगीर, वन परिक्षेत्र :— बलौदा					
स.क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम जहाँ वन खण्ड स्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति / सीमाएं
1	2	3	4	5	6
1	खरगहनी	18 खरगहनी	125 387	7.696 20.910	उत्तर—कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु. क्र. 1 से 9 तक । पूर्व —कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु. क्र. 9 से 18 एवं 18 से महानदी सीमा लाईन तक । दक्षिण—महानदी सीमा लाईन एवं महानदी सीमा लाईन से कृत्रिम सीमा कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु. क. 19 तक। पश्चिम—कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु. क्र. 19 से 22 से 1 तक।
	योग		02	28.606	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2 दिनांक 10-8-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur, the 10th August 2016

No. F 7-8/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Janjgir Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District-Janjgit-Chamapa, Tehsil-Janjgir, Forest Division-Janjgir-Champa, Forst Range-Baloda

S.No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No.and Revenue Village where Block situated	Khasara Numbers	Area in Hectare	Situation/Limit
1	2	3	4	5	6
1	kharghani	18 kharghani	125 387	7.696 20.910	**North :** Artificial boundary line survery pillar No. 1 to 9. **East :** Artificial Boundary Line survey Pillar No. 9 to 18 and survey pillar 18 to Mahaanadi river boundary Line. **South :** Mahanadi river boundary and Mahanadi river boundary to artificial boundary line survey pillar No.19 **West :** Artificial Boundary Line survey Pillar No. 19 to 22 and survey pillar No. 22 to 1.
	Total :-		02	28.606	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा (4) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा घोषित करती है, कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा उपखण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, अर्थात :—

अनुसूची

जिलाः— कोरबा, तहसीलः—करतला, वनमंडलः—कोरबा, वन परिक्षेत्र :— कुदमुरा

स.क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम जहाँ वन खण्ड स्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति / सीमाएं
1	2	3	4	5	6
1	छापर — ए	11 अमलडीहा	251	7.000	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड मतरेंगा कक्ष क्र. 2251 सीमा रेखा मु.क्र.35 से कक्ष क्र.2255 सीमा रेखा मु.क्र. 8 एवं 8 से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क्र.1 एवं 1 से 4 पू. की ओर, एवं 4 से 5 तक उ. की ओर। पूर्व— कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क्र. 5 से 14 एवं 14 से 15 द. की ओर, 15 से 20, 20 से 23 उ. की ओर, 23 से 24 उ. की ओर, 24 से 29 प. की ओर, 29 से 30 उ. की ओर, 30 से 31 प. की ओर, 31 से 33, 33 से 35 द. की ओर, 35 से 37 पू. की ओर, 37 से 38 द. की ओर 38 से 46 प. की ओर, 46 से 49 एवं 49 से 51 पू. की ओर, 51 से 52 द. की ओर, 52 से 54 प. की ओर, 54 से 56 उ. की ओर, 56 से 57 प. की ओर, 57 से 64 पू. की ओर, 64 से 67 द. की ओर, 67 से 79 पू. की ओर, 79 से रायगढ़ जिला सीमा रेखा पर कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क्र. 80 तक द. की ओर दक्षिण—कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु. क्र. 80 से 81 पू. की ओर, 81 से 86 प. की ओर, 86 से 99 उ. की ओर, 99 से 101 प. की ओर, 101 से 108 द. की ओर, 108 से 112 उ. की ओर, 112 से 114 द. की ओर, 114 से 118 प. की ओर, 118 से 121 पू. की ओर, 121 से123 द. की ओर, 123 से 125 प. की ओर,125 से 128 उ. की ओर,128 से 134 प. की ओर, 134 से 137 पू. की ओर,137 से 138 प. की ओर, 138 से 139 एव 139 से 140 द. की ओर, 140 से 143 प. की ओर, 143 से 151 उ. की ओर, 151 से 155 पू. की ओर, 155से 162 प. की ओर, 162 से 168 द. की ओर, 168 से 169 प. की ओर, 169 से 174,174 से 177 उ. की ओर 177से 182 प. की ओर, 182 से 186 उ. की ओर 186 से 189 पू. की ओर, 189 से 191 द. की ओर, 191 से 193 एवं 193 से 196 पू. की ओर, 196 से 200 उ. की ओर 200 से 203 प. की ओर, 203 से 206 द. की ओर, 206 से 210 प. की ओर, 210 से 211 द. की ओर 211 से 212 प. की ओर, 212 से 217 उ. की ओर, 217 से 219, 219 से 223,223 से 225 प. की ओर, 225 से 228 उ. की ओर, 228 से 235 द. की ओर, 235 से 237 उ. की ओर, ,237 सं 242 द. की ओर, 242 से 244 प. की ओर, 244 से 249 उ. की ओर, 249 से 250 प. की ओर, 250 से 255 द. की ओर, 255 से 257,257 से 262 प. की ओर, 262 से 263 द. की ओर, 263 से 267 प. की ओर, 267 से 269,269 से 276 द. की ओर, 276 से 278 प. की ओर, 278 से 281 उ. की ओर, 281 से 285 प. की ओर, 285 से 287 द. की ओर, 287 से 291 प. की ओर, 291 से 293 द. की ओर, 293 से 295 प. की ओर, 295 से 297 द. की ओर, 297 से 303 प. की ओर, 303 से 304 उ. की ओर, 304 से 306 पू. की ओर, 306 से 307 उ. की ओर, 307 से 310 प. की ओर, 310 से 313 द. की ओर, 313 से 316 प. की ओर, 316 से 318 उ. की ओर, 318 से 321 प. की ओर, एवं 321 से संरक्षित वनखण्ड मतरिंगा कक्ष क्र. 2250 सीमा रेखा मु.क्र. 51 तक। मु.क्र. 99 से 161 तक मुड़रा पहाड़ एवं मु.क्र. 182 से 900 मी. की दूरी पर अमलडीहा ग्राम ।
			252	22.300	
			253	77.000	
			254	24.250	
			379	10.000	
			275	0.025	
			280	7.200	
			512	6.832	
			मसाहती	600.502	
		11 बलसेंधा	08	755.109	
			50/1	7.620	
			38/1	12.600	
			35/1	5.320	
			175/1	0.970	
			189/1	15.220	
			221/1	6.200	
			222	0.200	
			07	48.130	
		11 माली कछार	मसाहती	392.645	
			0	392.645	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>से 47 एवं कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 322 से 328 पू. की ओर, एवं 328 से संरक्षित वनखण्ड मतरिंगा कक्ष क्र. 2251 सीमा रेखा मु. क्र. 42 से 35 तक उ. की ओर ।
नोट :– सीमा लाईन का विवरण जिसके द्वारा वन अधिकार पत्र प्राप्त वितरित भूमि को , वनखण्ड के अन्दर घेरा गया :–
<table>
<tr><td colspan="2">अधिकार पत्र प्राप्त</td><td rowspan="2">सीमा रेखा मुनारा क्रमांक</td></tr>
<tr><td>खसरा क्र</td><td>रकबा हे.</td></tr>
<tr><td>मस.</td><td>0.404</td><td>(1) कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु क्र. 283/1 से 283/4 एवं 283/4 से 283/1 तक।</td></tr>
<tr><td>मस.</td><td>0.2.02</td><td>(2) कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु. क्र. 275/1 से 275/4 एवं 275/4 से 275/1 तक।</td></tr>
<tr><td>मस.</td><td>0.404</td><td>3) कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे. मु. क्र. 273/1 से 273/4 एवं 273/4 से 273/1 तक।</td></tr>
<tr><td>मस.</td><td>1.214</td><td>(4) कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे. मु. क्र. 150/1 से 150/4 एवं 150/4 से 150/1 तक।</td></tr>
<tr><td>मस.</td><td>0.404</td><td>(5) कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे. मु. क्र. 153/1 से 153/4 एवं 153/4 से 153/1 तक।</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>2.628</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>योग</td><td>15</td><td>1196.884</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>जिल्गा–ए</td><td>14 जिल्गा</td><td>129/1
1623
1624
1611
1617
1183
1184</td><td>28.334
12.305
0.500
2.000
5.000
1.000
2.000</td><td>उत्तर :–कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे.मु. क्र. 32 से 33, 33 से 34,34 से 35 पू. की ओर, 35 से 36 उ. की ओर, 36 से 42 तक पू. की ओर,। मु.क. 41 एवं 42के मध्य से गुजरती हुई चचिया से बरपाली सड़क ।
पूर्व :– कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु. क्र. 42 से 45 द. की ओर, 45 से 1 प. की ओर, 1 से 2 उ. की ओर, 2 से 3 प. की ओर, 3 से 7 तक द. की ओर । मु. क्र. 45 से गुजरती हुई चचिया से बरपाली सड़क ।
दक्षिण :– कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क्र. 7 से 8, 8 से 12, 12 से 15 उ. की ओर, 15 से 16 प. की ओर, 16 से 21 द. की ओर, 21 से 24 से 26 उ. की ओर, 25 से 28 तक प. की ओर ।
पश्चिम :–कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क्र.28 से 31, 31 से 32 तक उ. की ओर ।
नोट :– वनखण्ड के अंदर नीचे तालिका अनुसार कृषि भूमि के खसरा एवं रकबा सम्मिलित को कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा के द्वारा बाहर किया गया :–
<table>
<tr><td>ग्राम</td><td>खसरा नं.</td><td>रकबा</td><td>सीमा रेखा मुनारा क्रमांक</td></tr>
<tr><td>जिल्गा</td><td>129/9</td><td>1.150</td><td>2/1 से 2/4 एवं 2/4 से 2/1 तक</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>1</td><td>1.150</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>योग</td><td>07</td><td>51.139</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>जिल्गा–बी</td><td>12 बरपाली

14 जिल्गा</td><td>1432
1428 }
1448/1 }
1443/1
1448/1
1459
1450
1518
1502/2
1503/1
1369
11
165/1
200/1
237
247
231
307/1
308
1100/1
319/2
315
325/1
311
191/1
270
287/1
15</td><td>13.000
25.000

8.000
25.000
0.500
20.000
27.000
0.008
2.500
1.500
122.508
50.000
25.110
0.010
2.000
30.000
32.940
0.500
28.649
8.229
2.000
5.000
0.195
8.200
15.200
16.417
224.450</td><td>उत्तर :–कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क्र. 171 से 180 पू. की ओर, 180 से 184, 184, से 185,185 से 186 , 186 से 192, 192 से 194 द. की ओर, 194 से 195 प. की ओर, 195 से 201 द. की ओर, 201 से 202 पू. की ओर, 202 से 204 द. की ओर, 204 से 205 प. की ओर, 205 से 206 द. की ओर, 206 से 207 पू. की ओर, 207 से 208 द. की ओर , 208 से 210 पू. की ओर, 210 से 211 उ. की ओर, 211 से 212 प. की ओर, 212 से 213 उ. की ओर 213 से 215 पू. की ओर, 215 से 217 उ. की ओर, 217 से 219 प. की ओर, 219 से 221 उ. की ओर, 221 से 223 पू. की ओर, 223 से 224,224 से 225, 225 से 226 द. की ओर 226 से 228 पू. की ओर, 228 से 229 उ. की ओर, 229 से 231 पू. की ओर, 231 से 233 प. की ओर, 233 से 238 उ. की ओर 238 से संरक्षित वनखंड टेम्डामार कक्ष क्र.2276 सीमा रेखा मु. क्र.35 एवं 35 से 31 तक
पूर्व :– संरक्षित वनखण्ड टेंडामार कक्ष क्र. 2276 सीमा रेखा मु.क्र.31 से कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र.1 एंव 1 से 14 द. की ओर 14 से 15 प. की आरे, 15 से 16 द. की ओर,16 से 18 पू. की ओर, 18 से 20 द. की ओर, 20 से 21 प. की ओर, 21 से23,23 से24,24 से 29,29 से 30,30 से 40 द. की ओर,। 40 से 41 पू. की ओर, 41 से 49 तक द. की ओर । मु. क्र.18 एवं 19 के पास से बहती हुई माण्ड नदी ।
दक्षिण:– कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क्र. 49 से 51 प. की ओर, 51 से 52 उ. की ओर, 52 से 53 प. की ओर, 53 से 55 द. की ओर, 55 से 57, 57 से 58 उ. की ओर, 58 से 89 प. की ओर, 59 से 60 द. की ओर, 60 से 78 तक प. की ओर, । मु. क्र. 69 से 70 के मध्य से गुजरती हुई बरपाली से जिल्गा सडक ।
पश्चिम:– कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 78 से 81 उ. की ओर, 81 से 92 पू. की ओर, 92 से 94 उ. की ओर, 94 से 97 पू. की ओर, 97 से 99 उ. की ओर, 99 से 101 पू. की ओर, 101 से 102, 102 से 105, 106 से 108 द. की ओर, 108 से 109, 109 से 113 पू. की ओर, 113 से 114 द. की ओर, 114 से 115 प. की ओर, 115 से 118 द. की ओर, 118 से 119 पू की ओर, 119 से 123 उ की ओर, 123 से 124 पू. की ओर, 124 से 126 उ. की ओर, 126 से 127 पू. की ओर, 127 से 129 , 129 से 140 उ. की ओर, 140 193 द. की ओर, 193 से 198 उ. की ओर, 198 से 159 पूर्व की ओर, 159 से 163 उ. की ओर, 163 से 165 पूर्व की ओर, 165 से 167, 167 से 171 तक उ. की ओर । मु. क्र. 87 के पास से गुजरती हुई बरपाली से जिल्गा सडक ।</td></tr>
</table>

वितरित भूमि को, वनखण्ड के अन्दर घेरा गया :–

अधिकार पत्र प्राप्त		
खसरा क्र.	रकबा हे. में	सीमा रेखा मुनारा क्र.
1432	0.404 1.214	(1)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 168/1 से 168/4 एंव 168/4 से 168/1 तक ।
1432	0.809 0.809 0.809	(2)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 169/1 से 169/4 एंव 169/4 से 169/1 तक ।
1432	0.809	(3)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 170/1 से 170/4 एंव 170/4 से 170/1 तक ।
1432	0.404	(4)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 173/1 से 173/4 एंव 173/4 से 173/1 तक ।
1428	1.012 1.214	(5)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 174/1 से 174/4 एंव 174/4 से 174/1 तक ।
1448/1	1.214 0.089	(6)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 141/1 से 141/4 एंव 141/4 से 141/1 तक ।
1446/1	0.809	(7)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 139/1 से 139/4 एंव 139/4 से 139/1 तक ।
1446/1	0.809	(8)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 137/1 से 137/4 एंव 137/4 से 137/1 तक ।
1459	0.809	(9)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 180/1 से 180/4 एंव 180/4 से 180/1 तक ।
1450	1.214 0.404	(10)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 182/1 से 182/4 एंव 182/4 से 182/1 तक
1450	0.404	(11)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 183/1 से 183/4 एंव 183/4 से 183/1 तक
1450	0.404	(12)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 184/1 से 184/4 एंव 184/4 से 184/1 तक
1450	0.809	(13)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 186/1 से 186/4 एंव 186/4 से 186/1 तक
1450	0.809	(14)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 187/1 से 187/4 एंव 187/4 से 187/1 तक
1446/1	0.404 0.809	(15)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 189/1 से 189/4 एंव 189/4 से 189/1 तक
1446/1	0.202	(16)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 190/1 से 190/4 एंव 190/4 से 190/1 तक
1446/1	1.214	(17)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 191/1 से 191/4 एंव 191/4 से 191/1 तक
1446/1	1.012	(18)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 138/1 से 138/4 एंव 138/4 से 138/1 तक
1518	0.809	(19)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 236/1 से 236/4 एंव 236/4 से 236/1 तक
1518	1.013 1.214	(20)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 237/1 से 237/4 एंव 237/4 से 237/1 तक
1518	1.214	(21)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 11/1 से 11/4 एंव 11/4 से 11/1 तक
1518	1.214	(18)कृत्रिम सीमा रेखा सेर्वे मु.क्र. 7/1 से 7/4 एंव 7/4 से 7/1 तक
07	25.083	

		योग	26	346.958	
4	सपलोनाला	14 जिल्गा	1739/1 1843/1 1929/1 1951/1 1724 1722 1715	0.500 0.750 24.000 40.000 11.000 10.000 5.000	उत्तर :– कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क्र. 76 से 80 पू. की ओर, 80 से 83, द. की ओर, 83 से 85 तक पू की ओर,। मु. क्र. 83 के पास बहती हुई सपलोनाला । पूर्व :– कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क्र. 85 से 86 द. की ओर, 86 से 87 पू. की ओर, 87 से 89 एवं 89 से 1,1 से 2 द. की ओर, 2 से 3 पू. की ओर, 3 से 7 द. की ओर, 7 से 11 पू. की ओर, 11 से 12 उ. की ओर, 12 से 14 पू. की ओर, 14 से 23 द. की ओर 23 से 24 पू. की ओर, 24. से 25 तक द. की ओर,। मु. क. 10 एवं 11 के मध्य से गुजरती हुई जिल्गा से कुदमुरा कडक दक्षिण:– कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क्र. 25 से 26 प. की ओर, 26 से 28 द. की ओर, 28 से 29 प. की ओर, 29 से 30 उ. की ओर, 30 से 32 द. की ओर, 32 से 37 उ. की ओर, 37 से 38 पू. की ओर, 38, 39 से 40,40 से 42 उ. की ओर, 52 से 43 प. की ओर, 43 से 46 द. की ओर, 46 से 47 प. की ओर, 47 से 48 उ. की ओर, 48 से 49 द. की ओर, 49 से 51 तक प. की ओर । मु. क्र. 32 एवं 33 के मध्य से गुजरती हुई जिल्गा से कुदमुरा सडक ।
			07	91.250	
		14 कटकोना	918/1 919	3.000 0.250	
			02	3.250	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>पश्चिम:– कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 51 से 54 उ. की ओर, 54 से 55,55 से 57 पू. की ओर, 57 से 62 उ. की ओर, 62 से 63 प. की ओर, 63 से प्राकृतिक सीमा रेखा सपलोनाला सीमा पर कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु. क्र. 64 एवं 64 से 68, 68 से 69 प. की ओर, 69 से 70 उ. की ओर, 70 से 72 पू. की ओर, 72 से 76 तक उ. की ओर ।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>योग</td><td>09</td><td>94.500</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>दादरखोका</td><td>12
बरपाली</td><td>217
191
242
246
136
190
189
188</td><td>2.700
65.000
10.000
1.000
7.000
0.109
0.045
0.547</td><td>उत्तर :– संरक्षित वनखण्ड पश्चिम गिरारी कक्ष क्र. 2304 सीमा रेखा मु. क्र. 93 से 91 एवं 91 से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु. क्र. 1 से 9, 9 से 11 द. की ओर, 11 से 17, 17 से 19 उ की ओर, 19 से 20 तक पू. की ओर, ।
पूर्व :– कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क्र. 20 से 21 द. की ओर, 21 से 22 प. की ओर, 22 से 24 द. की ओर, 24 से 28 प. की ओर, 28 से 31 द. की ओर, 31 से 36 प. की ओर, 36 से 40 उ. की ओर, 40 से 43 द. की ओर, एवं 43 से संरक्षित वनखण्ड तराईमारडीह कक्ष क्र. 2377 सीमा रेखा मु. क्र. 17 एंव 17 से 15 तक । मु. क्र. 34 एवं 35 के मध्य से बहती हुई दिवान नाला ।
दक्षिण:– संरक्षित वनखण्ड तराईमारडीह कक्ष क्र. 2377 सीमा रेखा मु. क्र. 15 एंव 15 से कक्ष क्र. 2378 सीमा रेखा मु. क्र. 11 तक ।
पश्चिम:– संरक्षित वनखण्ड तराईमारडीह कक्ष क्र.2378 सीमा रेखा मु. क्र. 11 से 8 एवं 8 से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क्र. 44 से 45 उ. की ओर, 45 से 46 पू. की ओर, 46 से 52,52 से 56 द. की ओर, 56 से 60 उ. की ओर, 60 से 63 पू. की ओर, 63 से 65 प. की ओर, 65 से 69 उ. की ओर, 69 से 70 प. की ओर, 70 से 72 पू. की ओर, 72 से 75 उ. की ओर, एवं 75 से संरक्षित वनखण्ड पश्चिम गिरारी कक्ष क्र. 2304 सीमा रेखा मु. क्र.93 तक ।
नोट :– सीमा लाईन का विवरण जिसके द्वारा वन अधिकार पत्र प्राप्त वितरित भूमि को, वनखण्ड के अन्दर घेरा गया :–
<table><tr><td colspan="2">अधिकार पत्र प्राप्त</td><td rowspan="2">सीमा रेखा मुनारा क्रमांक</td></tr><tr><td>खसरा क्र.</td><td>रकबा हेक्टेयर</td></tr><tr><td>136</td><td>0.202</td><td rowspan="3">कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु. क्र. 19/1/ से/19/4 एवं 19/4 से 19/1 तक ।</td></tr><tr><td>136</td><td>0.404</td></tr><tr><td>136</td><td>0.404</td></tr><tr><td>01</td><td>1.010</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>योग</td><td>08</td><td>86.401</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>महायोग</td><td>65</td><td>1774.882</td><td></td></tr>
</table>

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2 दिनांक 10-8-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur, the 10th August 2016

No. F 7-8/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Korba Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District-Korba, Tehsil-Korba, Division-Korba, Range-Kudmara

S.No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No.and Revenue Village where Block situated	Khasara Numbers	Area in Hectare	Situation/Limit
1	2	3	4	5	6
1	Chhapar -A	11 Amaldiha	251 252 253 254 379 275 280 512 Unsurveyed Land	7.000 22.300 77.000 24.250 10.000 0.025 7.200 6.832 600.502	**North :** P.F. block Matrenga comptt. No. 2251 boundary Line pillar No. 35 to comptt. No. 2255 boundary Line pillar No. 8 and 8 to artificial boundary line survey pillar No. 1 to 4 towards east and 4 to 5 towards north. **East :** Artificial Boundary Line survey Pillar No.5 to 14, 14 to 15 towards south, 15 to20, 20 to 23 towards north,23 to 24 towards north 24 to 29 towards west, 29 to 30 towards North 30 to 31 towards west 31 to 33, 33 to 35 towards south, 35 to 37 towards east, 37 to 38 towards south, 38 to 46 towards west, 46 to 49, 49 to 51 towards east, 51 to 52 towards south, 52 to 54 towards west, 54 to 56 towards north, 56 to 57 towards west, 57 to 64 towards east, 64 to 67 towards south, 67 to 79 towards east, 79 to Raigarh Distt. boundary line on artificial boundary line survey pillar No. 80 towards south. **South :** Artificial boundary line survey pillar No.80 to 81 toward west, 81 to 85 to towards north, 85 to 86 towards west, 86 to 99 towards north, 99 to 101 towards west, 101 to 108 towards south, 108 to 112
			08	755.109	
		11 Balsendha	50/1 38/1 35/1 175/1 189/1 221/1 222	7.620 12.600 5.320 0.970 15.220 6.200 0.200	
			07	48.130	
		11 Malikachar	Unsurveyed Land	392.645	

					towards north, 112 to 114 towards south, 114 to 118 towards west, 118 to 121 towards east, 121 to 123 towards south, 123 to 125 towards west, 125 to 128 towards north, 128 to 134 towards west, 134 to 137 towards east, 137 to 138 towards west, 138 to 139, 139 to 140 towards south, 140 to 143 towards west, 143 to 151 towards north, 151 to 155 towards east, 155 to 162 towards west, 162 to 168 towards south, 168 to 169 towards west, 169 to 174, 174 to 177 towards north, 177 to 182 towards west, 182 to 186 towards north, 186 to 189 towards east 189 to 191 towards south, 191 to 193, 193 to 196 towards east, 196 to 200 towards north, 200 to 203 towards west, 203 to 206 towards south, 206 to 210 towards west, 210 to 211 towards south, 211to 212 towards west, 212 217 towards north, 217 to 219, 219 to 223, 223 to 225 towards west, 225 to 228 towards north, 228 to 235 towards south, 235 to 237 towards north, 237 to 242 towards south, 242 to 244 towards west, 244 to 249 towards north, 249 to 250 towards west, 250 to 255 towards south , 255 to 257, 257 to 262 towards west, 262 to 263 towards south, 263 to 267 towards east, 267 to 269, 269 to 276 towards south, 176 to 278 towards west, 278 to 281 towards north 281 to 285 towards west, 258 to 287 towards south, 287 to 291 towards west, 291 to 293 towards south, 293 to 295 towards west, 295 to 297 towards south, 297 to 303 towards west, 303 to 304 towards 306 to 307 towards north, 307 to 310 towards west, 310 to 313 towards south, 313 to 316 towards west, 316 to 318 towards north, 318 to 321 towards west, and 321 to P.F. block Matrainga comptt. No. 2250 boundary line pillar No. 51. Mundrapaha is situated near pillar No. 99 to 161 and Amaldiha village is situated 900

					mt. far from the pillar No. 182 of the bock. **West :** P.F. block Matrainga comptt. No.2250 boundaey line pillar No. 51 to 47 and artificial boundary line survey pillar No.322 to 328 towards east, 328 to comptt. No. 2251 boundary line pillar No. 42 to 35 towards north. Note : Detail of boundary line by which forest right holder's certificate distributed land ringed inside the block.

Detail of forest right holder		Boundary line pillar No.
Khasara No.	Area in Hact.	
US	0.404	1)Artificial boundary line survey pillar No.283/1 to 283/4 & 283/1
US	0.202	2)Artificial boundary line survey pillar No.275/1 to 275/4 & 275/4 to 175/1
US	0.404	3)Artificial boundary line survey pillar No.273/1 to 273/4 & 273/4 to 173/1
US	1.214	4)Artificial boundary line survey pillar No.150/1 to 150/4 & 150/4 to 150/1
US	0.404	5)Artificial boundary line survey pillar No.153/1 to 153/4 & 153/4 to 153/1
0	2.628	

	Total :-		15	1195.884	
2	Jilga-A	14 - Jilga	129/1 1623 1624 1611 1617 1183 1184	28.334 12.305 0.500 2.000 5.000 1.000 2.000	**North :** Artificial boundary line survey pillar No.32 to 33, 33 to 34, 34 to 35 towards east, 35 to 36 towards north, 36 to 42 towards east. Chachiya to Barpali road passes between pillar No. 41 and 42 of the block. **East :** Artificial boundary line survey pillar No.42 to 45, towards south, 45 to 1 towards 1 to 2 towards north, 2 to 3 towards west, 3 to 7 towards south. Chachiya to Barpali road passes near pillar No. 45 of to block. **South :** Artificial boundary line survey pillar No.7 to 8, 8 to 12, 12 to 15 towards north, 15 to 16 towards west, 16 to 21 towards south, 21 to 24, 24 to 25 towards north, 25 to 28 towards west. **West :** Artificial boundary line survey pillar No.28 to 31, 31 to 31

<table>
<tr>
<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>
<td>towards north.
Note : In this block agriculture land has been ringed out by artificial boundary line survey pillar as given below in the table.
<table>
<tr><th>Village</th><th>K.No.</th><th>area in hac.</th><th>Boundry Line pillar No.</th></tr>
<tr><td>Jilga</td><td>129/9</td><td>1.150</td><td>2/1to2/4 and 2/4 to 2/1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>01</td><td>1.150</td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td><td></td><td>Total</td><td>07</td><td>51.139</td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td><td>Jilga-A</td><td>12-Barpali</td>
<td>1432
1428 }
1448/1 }
1443/1
1446/1
1459
1450
1518
1502/2
1503/1
1369</td>
<td>13.000
25.000

8.000
25.000
0.500
20.000
27.000
0.008
2.500
1.500</td>
<td rowspan="4">North : Artificial boundary line survey pillar No.771 to 180 towards east, 180 to 184, 184 to 185, 185 to 186, 186 to 192, 192 to 194 towards south, 194 to 195 towards west, 195 to 201 towards south, 201 to 202 towards east, 202 to 204 towards south, 206 to 207 towards east, 207 to 208 towards south, 208 to 210 towards east, 210 to 211 towards north, 211 to 212 towards west, 212 to 213 towards north, 213 to 215 towards east, 215 to 217 towards north, 217 to 219 towards west, 219 to 221 towards north, 221 to 223 towards east, 223 to 224, 224 to 225, 225 to 226 towards south, 226 to 228 towards east, 228 229 towards north, 229 to 231 towards east, 231 to 233, towards west, 233 to 238 towards north, and 238 to P.F. block. Taendamar comptt . No. 2276 boundary line No. 35 and 35 to 31.

East : P.F. block. Tendamar comptt . No. 2276 boundary lin pillar No. 31 to artificial boundary line survey pillar No. 1 and 1 to 14 towards south, 14 to 15 towards west 15 to 16 towards south, 16 to 18 towards east, 18 to 20 towards south, 20 to 21 towards west, 21 to 23 24, 24 to 29, 29 to 30, 30 to 40 towards south, 40 to 41 towards east, 41 to 49 towards south. Mand river flows passes near pillar No. 18 and 19 of the block.

South : Artificial boundary line survey pillar No. 49 to 51 towards west, 51 to 52 towards north, 52 to 53 towards west, 53 to 55 towards south, 55 to 57, 57 to</td>
</tr>
<tr>
<td></td><td></td><td></td><td>11</td><td>122.508</td>
</tr>
<tr>
<td></td><td></td><td>14- Jilga</td>
<td>165/1
200/1
237
247
231
307/1
308
1100/1
319/2
315
325/1
311
191/1
270
287/1</td>
<td>50.000
25.110
0.010
2.000
30.000
32.940
0.500
28.649
8.229
2.000
5.000
0.195
8.200
15.200
16.417</td>
</tr>
<tr>
<td></td><td></td><td></td><td>15</td><td>224.450</td>
</tr>
</table>

58 towards north, 58 to 59 towards west, 59 to 60 towards south, 60 to 78 towards west, Barpali to Jilga road passes between pillar No. 69 and 70 of the block.

West : Artificial boundary line survey pillar No. 78 to 81, towards north. 81 to 92 towards east, 92 to 94 towards north, 94 to 97 towards east, 97 to 99 towards north, 99 to 101 towards east, 101 to 102, 102 to 105, 105 to 108 towards south, 108 to 109, 109 to 113 towards east, 113 to 114 towards south, 114 to 115 towards west, 115 to 118 towards south, 118 to 119 towards east, 119 to 123 towards north, 123 to 124 towards east, 124 to 126 towards north, 126 to 127 towards east, 127 to 129, 129 to 140 towards north, 140 to 153 towards south, 153 to 158 towards north, 158 to 159 towards east, 159 to 163 towards north, 163 to 165 towards west, 165 to 167, 167 to 171 towards north, Barpali to Jilga road passes near pillar No. 87 of the block.

Note : Detail of boundary line by which forest right holder's certificate distributed land ringed inside the block.

Detail of forest right holder		Boundary line pillar No.
Khasara No.	Area in Hact.	
1432	0.404 1.214	1)Artificial boundary line survey pillar No.168/1 to 168/4 & 168/4 to 168/1
1432	0.809 0.809 0.809	2)Artificial boundary line survey pillar No.169/1 to 169/4 & 169/4 to 169/1
1432	0.809	3)Artificial boundary line survey pillar No.170/1 to 170/4 & 170/4 to 170/1
1432	0.404	4)Artificial boundary line survey pillar No.173/1 to 173/4 & 173/4 to 173/1
1428	1.012 1.214	5)Artificial boundary line survey pillar No.174/1 to 174/4 & 174/4 to 174/1
1448/1	1.214 0.089	6)Artificial boundary line survey pillar No.141/1 to 141/4 & 141/4 to 141/1
1446/1	0.809	7)Artificial boundary line survey pillar No.139/1 to 139/4 & 139/4 to 139/1

					1446/1	0.809	8)Artificial boundary line survey pillar No.140/1 to 140/4 & 140/4 to 140/1
					1459	0.809	9)Artificial boundary line survey pillar No.180/1 to 180/4 & 180/4 to 180/1
					1450	1.214 0.404	10)Artificial boundary line survey pillar No.182/1 to 182/4 & 182/4 to 182/1
					1450	0.404	11)Artificial boundary line survey pillar No.183/1 to 183/4 & 183/4 to 183/1
					1450	0.404	12)Artificial boundary line survey pillar No.184/1 to 184/4 & 184/4 to 184/1
					1450	0.809	13)Artificial boundary line survey pillar No.186/1 to 186/4 & 186/4 to 186/1
					1450	0.809	14)Artificial boundary line survey pillar No.187/1 to 187/4 & 187/4 to 187/1
					1446/1	0.404 0.809	15)Artificial boundary line survey pillar No.189/1 to 189/4 & 189/4 to 189/1
					1446/1	0.202	16)Artificial boundary line survey pillar No.190/1 to 190/4 & 190/4 to 190/1
					1446/1	1.214	17)Artificial boundary line survey pillar No.191/1 to 191/4 & 191/4 to 191/1
					1446/1	1.012	18)Artificial boundary line survey pillar No.138/1 to 138/4 & 138/4 to 138/1
					1518	0.809 1.013	19)Artificial boundary line survey pillar No.236/1 to 236/4 & 236/4 to 236/1
					1518	1.214	20)Artificial boundary line survey pillar No.237/1 to 237/4 & 237/4 to 237/1
					1518	1.214	21)Artificial boundary line survey pillar No.11/1 to 11/4 & 11/4 to 11/1
					1518	1.214	22)Artificial boundary line survey pillar No.7/1 to 7/4 & 7/4 to 7/1
					07	25.083	
		Total	26	346.958			
4	Saplonala	14 Jilga	1739/1 1843/1 1929/1 1951/1 1724 1722 1715	0.500 0.750 24.000 40.000 11.000 10.000 5.000	North :Artificial boundary line survey pillar No.76 to 80 towards east, 80 to 83 towards south, 83 to 85 towards east. Saplonala flows passes near pillar No. 83 of the block. East : Artificial boundary line survey pillar No. 85 to 86 towards south, 86 to 87 towards east, 87 to 89,89to 1, 1 to 2 towards south, 2 to 3 towards east, 3 to 7 towards south, 7 to 11 towards east, 11		
			07	91.250			
		14 Katkona	918/1 919	3.000 0.250			

			02	3.250	to 12 towards north, 12 to 14 towards east, 14 to 23 towards south, 23 to 24 towards east, 23 to 24 towards east, 24 to 25 towards south. Jilga to kudmara road passes between pillar No. 10 and 11 of the block. **South :** Artificial boundary line survey pillar No. 25 to 26 towards west, 26 to 28 towards south, 28 to 29 towards west, 29 to 30 towards north, 30 to 32 towards south, 32 to 37 towards north, 37 to 38 towards east, 38 to 39, 39 to 40, 40 to 42 towards north, 42 to 43 towards west, 43 to 46 towards south, 46 to 47 towards west, 47 to 48 towards north, 48 to 49 towards south, 49 to 51 towards west. Jilga to kudmara road passes between pillar No. 32 and 33 of the block. **West :** Artificial boundary line survey pillar No. 51 to 54, towards north, 54 to 55, 55 to 57 towards east, 57 to 62 towards north, 62 to 63 towards west, and 63 to Natural boundary line Saplonala on artificial boundary line survey pillar No. 64and 64 to 68, 68 to 69 towards west, 69 to 70 towards north, 70 to 72 towards east, 72 to 76 towards north
		Total	09	94.500	
5	Dadar dhodha	12 Barpali	217 191 242 246 136 190 189 188	2.700 65.000 10.000 1.000 7.000 0.109 0.045 0.547	**North** :P.F. block west Girari comptt. No. 2304 boundary line pillar No.93 to 91 to Artificial boundary line survey pillar No. 1 towards east, 1 to 9, 9 to 11 towards south, 11 to 17, 17 to 19 towards north, 19 to 20 towards east. **East** :Artificial boundary line survey pillar No. 20 to 21 towards south, 21 to 22 towards west, 22 to 24 towards south, 24 to 28 towards west, 28 to 31 towards south, 31 to 36 towards west, 36 to 40 towards north, 40 to 43 towards south, and 43 to P.F block.Taraimardih comptt. No.2377 boundary line pillar No. 17 and 17 to 15. Diwan nala passes between pillar No. 34 and 35 of the block. **South** :P.F. block Taraimardih comptt. No. 2377 boundary line pillar No.15 and 15 to comptt. No. 2378 boundary line pillar No.11. **West :** P.F. block Taraimardih Comptt no. 2378 boundary line pillar No.11 to 8 and 8 to artificial boundary line survey pillar No.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>44 to 45 towards north, 45 to 46 towards east, 46 to 52, 52 to 56 towards south, 56 to 60 towards north,60 to 63 towards east, 63 to 65 towards west, 65 to 69 towards north, 69 to 70 towards west, 70 to 72 towards east, 72 to 75 towards north, and 75 to P.F. block west Girari comptt. No. 2304 Boundaey line pillar No. 93.
Note :- Detal of Boundary line by wich forest right holder's cerificaaate distributed land ringed inside the block.
<table>
<tr><td colspan="2">Detail of forest right holder</td><td>Boundary line pillar No.</td></tr>
<tr><td>Khasa ra No.</td><td>Area in Hact.</td><td></td></tr>
<tr><td>136</td><td>0.202</td><td rowspan="3">Artificial boundary line survey pillar No. 19/1 to 19/4&19/4 to 19/1</td></tr>
<tr><td>136</td><td>0.404</td></tr>
<tr><td>136</td><td>0.404</td></tr>
<tr><td>01</td><td>1.010</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>**Total**</td><td>**08**</td><td>**86.401**</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>**G.Total**</td><td>**65**</td><td>**1774.882**</td><td></td></tr>
</table>

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-8/2015/10-2.—भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा (4) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा घोषित करती है, कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुंद उपखण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, अर्थात :—

अनुसूची

जिला:— महासमुन्द, तहसील:— महासमुन्द, वनमंडल:— महासमुन्द, वन परिक्षेत्र :— बागबहरा,

स.क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम जहाँ वन खण्ड स्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति / सीमाएं
1	2	3	4	5	6
18	गांजर	103 / 50 गांजर	147 (टुकडा)	9.910	
			149 (टुकडा)	1.050	उत्तर —कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक ।
			165 (टुकडा)	5.000	
			166 (टुकडा)	3.500	पूर्व —कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्रमासंक 3 से 27 तक ।
			217	0.400	
			218 (टुकडा)	5.220	दक्षिण— कृत्रिम सीमा कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्रमांक 27 से 31 तक ।
			216 (टुकडा)	6.260	
			230 (टुकडा)	5.200	पश्चिम—कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्रमांक 31 से 49 एवं 49 से 1 तक ।
			8	36.640	
		103 / 50 मुडागांव	686 (टुकडा)	8.150	
			1	8.150	
योग			9	44.690	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2 दिनांक 10-8-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur, the 10th August 2016

No. F 7-8/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Mahasamund Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District-Mahasamund, Tehsil-Mahasamund, Forest Division-Mahasamund, Forest Range-Bagbahara

S.No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No.and Revenue Village where Block situated	Khasara Numbers	Area in Hectare	Situation/Limit
1	2	3	4	5	6
18	Ganjer	103/50 Ganjer	147 Part	9.910	**North** : Artificial boundary ling survery pillar No. 1 to 3.
			149 Part	1.050	**East :** Artificial Boundary Line survey Pillar No. 3 to 27.
			165 Part	5.000	**South :** Artificial boundary line survey pillar No. 27 to 31.
			166 Part	3.500	**West :** Artificial Boundary Line survey Pillar No. 31 to 49 and 49 to 1.
			217	0.400	
			218 Part	5.220	
			216 Part	6.260	
			230 Part	5.200	
			8	36.540	
		103/50 Mudagaon	698 Part	8.150	
			1	8.150	
	Total :-		9	44.690	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-8/2015/10-2.—भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा (4) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा घोषित करती है, कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा उपखण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, अर्थात :—

अनुसूची

जिला- कोरबा, तहसील-कोरबा, वनमंडल- कोरबा, वन परिक्षेत्र-लेमरू

स.क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम जहाँ वन खण्ड स्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति / सीमाएं
1	2	3	4	5	6
1	हरदीमौहा–अ OA-1211	2 हरदीमौहा	मसाहती	65.000	उत्तर–प्राकृतिक गदगदा नाला की सीमा रेखा से संरक्षित वनखंड समरेंगा भाग कक्ष क.2029 सीमा रेखा मु.क.48 पू. की ओर, 48 से 49 द. की ओर, 49 से 50 पू. की ओर, 50 से 51 उ. की ओर एवं 51 से प्राकृतिक सीमा रेखा गदगदा नाला की सीमा रेखा एवं स.व.ख. साको क.क.2024 की सीमा रेखा पर कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क.1 तक पू. की ओर । पूर्व– कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क.1 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 7 तक द. की ओर । इस वनखंड की मु.क.3 से गुजरती हुई कईझरिया से देवपहरी सड़क । दक्षिण–कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क.7 से 8 उ. की ओर, 8 से प्राकृतिक गदगदा नाला की सीमा रेखा पर कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क.13 तक प. की ओर । इस वनखंड की मु.क.10 से लगभग 300 मीटर की दुरी पर हरदीमौहा ग्राम बस्ती एवं मु.क.13 के पास से बहती हुई गदगदा नाला । पश्चिम–कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क.13 से प्राकृतिक गदगदा नाला की सीमा रेखा पर उ. की ओर एवं गदगदा नाला की सीमा से संरक्षित वनखंड सतरेंगा भाग कक्ष क.2031 सीमा रेखा मु.क.41 एवं 41 से 43 प.की ओर, 43 से 45, 45 से 47 से प्राकृतिक गदगदा नाला की सीमा रेखा तक ।
	योग		0	65.000	
2	कुदरीचिंगर OA-1189	2 कुदरीचिंगर	मसाहती	155.843	उत्तर–सं.व.ख. अरसेना कक्ष क. 2071 सीमा रेखा मु.क.70 से 77 पू. की ओर, 77 से 83 उ. की ओर, 83 से 87 तक पू. की ओर । पूर्व– सं.व.ख. अरसेना कक्ष क. 2071 सीमा रेखा मु.क.87 से सरगुजा जिला सीमा रेखा से सं.व.ख. अरसेना कक्ष क. 2072 सीमा रेखा मु.क.1 एवं 1 से 7, 7 से 9, 9 से 15 तक द. की ओर । दक्षिण–सं.व.ख. अरसेना कक्ष क. 2072 सीमा रेखा मु.क.16 से 26 द. की ओर, 26 से 29 तक प. की ओर। वनखंड मु.क.35 से लगा हुआ कुदरीचिंबार ग्राम बस्ती। पश्चिम–सं.व.ख. अरसेना कक्ष क. 2072 सीमा रेखा मु.क.29 से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 1 एवं 1 से 5 उ. की ओर, 5 से 7 पू. की ओर, 7 से 10 उ. की ओर, 10 से 15, 15 से 18 पू. की ओर, 18 से 19 उ. की ओर, 19 से 23 प. की ओर, 23 से 24 उ. की ओर, 24 से 37 प. की ओर, 37 से 39 द. की ओर, 39 से 43 प. की ओर, 43 से 50 उ. की ओर तथा 50 से सं.व.ख. अरसेना कक्ष क. 2071 सीमा रेखा मु.क. 70 तक । इस वनखंड की मु.क.44 से लगभग 150 मी. पर पी. 2074 स्थित ।
	योग		0	155.843	
	महायोग		0	220.843	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2 दिनांक 10-8-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur, the 10th August 2016

No. F 7-8/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Korba Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the

provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District-Korba, Tehsil- Korba, Forest Division-Korba, Forest Range - Lemru

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No.and Revenue Village where Block situated	Khasara Numbers	Area in Hectare	Situation/Limit
1	2	3	4	5	6
1	Hardi mauha 'A' OA-1211	2 Hardi mauha	Unsurveyed Land	65.000	North : Natural boundary line Gadgada Nala to P.F. block Satranga Comptt.No.2029 boundary line P.No.48 towards East 48, 49 towards as South, 49 to 50 towards east, 50 to 51 towards north, and 51 to Natural boundary line Gadgada Nala & P.F. block Sako Comptt. No.2024 to artificial boundary line survey pillar No.1 towards east. East : Artificial Boundary Line survey Pillar No. 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 7 towards south. Kaijhariya to Devphari road passes near pillar No.3 of the block. South : Artificial Boundary Line survey Pillar No. 7 to 8 towards north, 8 to natural boundary line Gadgada Nala artificial boundary line pillar No.13 towards west. Hardimauha village is situalid 300 mt. far from the pillar No.10 and Gadgada Nala flows near the pillar No.13 of the block. West : Artificial Boundary Line survey Pillar No. 13 to natural boundary line Gadgada Nala towards north, P.F.block Satrenga part Comptt. No.2031 boundary line pillar No.41 and 41 to 43 towards west, 43 to 45, 45 to 47 to natural boundary line Gadgada Nala.
	Total :-		0	65.000	
2	Kudari chingar OA-1189	2 Kudari chingar	Unsurveyed	155.843	North : P.F. block Arsena Comptt. No.2071 boundary line pillar No.70 to 77 towards east, 77 to 83 towards north, 83 to 87 towards east. East : P.F. block Arsena Comptt. No.2071 boundary line pillar No. 87 to Surguja District boundary line & P.F.block Arsena Comptt. No.2072 boundary line pillar No.1 & 1 to 7, 7 to 9, 9 to 15 towards south. South : P.F. block Arsena Comptt. No.2072 boundary line pillar No.15 to 26 towards south, 26 to 29 towards west. Kudrichingar gram village is situated near the pillar No.35 of the block. West : P.F. block Arsena Comptt. No.2072 boundary line survey pillar No.29 to Artificial Boundary Line survey Pillar No.1 & 1 to 5 towards north, 5 to 7 towards east, 7 to 10 towards north, 10 to 15, 15 to 18 towards east, 18 to 19 towards north, 19 to 23 towards west, 23 to 24 towards north, 24 to 37 towards west, 37 to 39 towards south, 39 to 43 towards west, 43 to 50 towards north and 50 to P.F.block Arsena Comptt. No. 2071 boundary line pillar No. 70 P.F.2074 is situated 150 mt. far from the pillar No.44.
2		Total :-	00	155.843	
	G.Total :-		00	220.843	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-8/2015/10-2.—भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा (4) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा घोषित करती है, कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा उपखण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, अर्थात :—

अनुसूची

जिला:— कोरबा,		तहसील:—कोरबा,			वनमंडल:—कोरबा, वन परिक्षेत्र :— कुदमुरा
स.क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम जहाँ वन खण्ड स्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति / सीमाएं
1	2	3	4	5	6
1	सपलोनाला OA-1421	14 जिल्गा	1739/1 1843/1 1929/1 1951/1 1724 1722 1715	0.500 0.750 24.000 40.000 11.000 10.000 5.000	उत्तर— कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क.76 से 80 पू. की ओर, 80 से 83 द. की ओर, 83 से 85 तक पू. की ओर । मु.क.83 के पास बहती हुई सपलो नाला । पूर्व— कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क.85 से 86 द. की ओर, 86 से 87 पू. की ओर, 87 से 89 एवं 89 से 1, 1 से 2 द. की ओर, 2 से 3 पू. की ओर, 3 से 7 द. की ओर, 7 से 11 पू. की ओर, 11 से 12 उ. की ओर, 12 से 14 पू. की ओर, 14 से 23 द. की ओर, 23 से 24 पू. की ओर, 24 से 25 तक द. की ओर । मु. क्र. 10 एंव 11 के मध्य से गुजरती हुई जिल्गा से कुदमुरा कडक । दक्षिण— कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 25 से 26 प. की ओर, 26 से 28 द. की ओर, 28 से 29 प. की ओर, 29 से 30 उ. की ओर, 30 से 32 द. की ओर, 32 से 37 उ. की ओर, 37 से 38 पू. की ओर, 38 से 39, 39 से 40, 40 से 42 उ. की ओर, 42 से 43 प. की ओर, 43 से 46 द. की ओर, 46 से 47 प. की ओर, 47 से 48 उ. की ओर, 48 से 49 द. की ओर, 49 से 51 तक प. की ओर। मु. क. 32 एवं 33 के मध्य से गुजरती हुई जिल्गा से कुदमुरा सडक। पश्चिम—कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क.51 से 54 उ. की ओर, 54 से 55, 55 से 57 पू. की ओर, 57 से 62 उ. की ओर, 62 से 63 प. की ओर एवं 63 से प्राकृतिक सीमा रेखा सपलोनाला सीमा पर कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 64 एवं 64 से 68, 68 से 69 प. की ओर, 69 से 70 उ. की ओर, 70 से 72 पू. की ओर, 72 से 76 तक उ. की ओर।
			07	91.250	
		14 कटकोना	918/1 919	3.000 0.250	
			02	3.250	
	योग		09	94.500	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2 दिनांक 10-8-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur, the 10th August 2016

No. F 7-8/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Korba Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District-Korba, Tehsil-Korba, Forest Division-Korba, Forest Range-Kudmura

S.No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No.and Revenue Village where Block situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limit
1	2	3	4	5	6
1	Saplonala OA-1421	14 Jilga	1739/1 1843/1 1929/1 1951/1 1724 1722 1715	0.500 0.750 24.000 40.000 11.000 10.000 5.000	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 76 to 80 towards east, 80 to 83 towards south, 83 to 85 towards east. Saplonala flows passes near pillar No. 83 of the block.
			07	91.250	**East:** Artificial Boundary Line survey Pillar No. 85 to 86 towards south, 86 to 87 towards east, 87 to 89, 89 to 1, 1 to 2 towards south, 2 to 3 towards east, 3 to 7 towards south, 7 to 11 towards east, 11 to 12 towards north, 12 to 14 towards east, 14 to 23 towards south, 23 to 24 towards east, 24 to 25 towards south. Jilga to Kudmara road passes between pillar No.10 and 11 of the block.
		14 Katkona	918/1 919	3.000 0.250	
			02	3.250	**South:** Artificial Boundary Line survey Pillar No. 25 to 26 towards west, 26 to 28 towards south, 28 to 29 towards west, 29 to 30 towards north, 30 to 32 towards south, 32 to 37 towards north, 37 to 38 towards east, 38 to 39, 39 to 40, 40 to 42 towards north, 42 to 43 towards west, 43 to 46 towards south, 46 to 47 towards west, 47 to 48 towards north, 48 to 49 towards south, 49 to 51 towards west. Jilga to Kudmara road passes between pillar No. 32 and 33 of the block.

					West : Artificial Boundary Line survey Pillar No. 51 to 54 towards north, 54 to 55, 55 to 57 towards east, 57 to 62 towards north, 62 to 63 towards west and 63 to Natural boundary line Saplonala on artificial boundary line survey pillar No. 64 and 64 to 68, 68 to 69 towards west, 69 to 70 towards north, 70 to 72 towards east, 72 to 76 towards north.
	Total :-		**09**	**94.500**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-8/2015/10-2.—भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा (4) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा घोषित करती है, कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा उपखण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, अर्थात :—

अनुसूची

जिला:— कोरबा, तहसील:—कोरबा, वनमंडल:—कोरबा, वन परिक्षेत्र :— कोरबा

स.क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम जहाँ वन खण्ड स्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति / सीमाएं
1	2	3	4	5	6
1	साधुडोंगरी OA-1313	7 बताती	500 631/1 588/1 119 45 549 588/6 589	5.801 7.000 35.000 21.000 0.024 9.000 25.000 0.150	उत्तर— संरक्षित वनखंड बताती कक्ष क.2228 सीमा रेखा मु.क. 47 एवं 47 से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु. क्र. 30 से 31 द.की ओर, 31 से 32 पू. की ओर, 32 से 34 प. की ओर, 34 से 36 उ. की ओर, 36 से 37 पू. की ओर, 37 से 38 उ. की ओर, 38 से 39 पू. की ओर, 39 से 40 द. की ओर, 40 से 41 प. की ओर, 41 से 42 द. की ओर, 42 से 44 पू. की ओर, 44 से 45 द. की ओर, 45 से 46 पू. की ओर एवं 46 से कक्ष क. 2227 सीमा रेखा मु.क. 20 तक । पूर्व— संरक्षित वनखंड बताती कक्ष क. 2227 सीमा रेखा मु.क. 20 से 14, 14 से 10, 10 से 5 एवं 5 से कक्ष क. 2226 सीमा रेखा मु.क. 2 तक। दक्षिण— संरक्षित वनखंड बताती कक्ष क. 2226 सीमा रेखा मु.क. 2 से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 1 तक प. की ओर । पश्चिम—कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 1 से 2 उ. की ओर, 2 से 4 पू. की ओर, 4 से 6 उ. की ओर, 6 से 9 प.की ओर, 9 से 10 पू. की ओर, 10 से 11 द. की ओर, 11 से 12 पू. की ओर, 12 से 13 उ. की ओर, 13 से 14 प. की ओर, 14 से 15 द. की ओर, 15 से 16 प. की ओर, 16 से 19 उ. की ओर, 19 से 20 प. की ओर, 20 से 21 उ. की ओर, 21 से 22 प. की ओर, 22 से 23 द. की ओर, 23 से 26 प. की ओर, 26 से 27 द. की ओर, 27 से 28 प. की ओर, 28 से 29 उ. की ओर एवं 29 से संरक्षित वनखंड बताती कक्ष क. 2228 सीमा रेखा मु.क. 54 से 47 तक । इस वनखंड की मु.क.19 एवं 20 के मध्य से गुजरती हुई बताती से पसरखेत सड़क ।

1	2	3	4	5	6
					नोटः— सीमा लाईन का विवरण जिसके द्वारा वन अधिकार पत्र प्राप्त वितरित भूमि को, वनखंड के अन्दर घेरा गया :—

अधिकार पत्र प्राप्त		सीमा रेखा मुनारा क्रमांक
खसरा कमांक	रकबा हेक्टेयर	
588/1	0.400	(1) कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 21/1 से 21/4 एवं 21/4 से 21/1 तक
588/1	0.400	
588/1	0.300	
588/6	0.200	(2) कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 10/1 से 10/4 एवं 10/4 से 10/1 तक
588/1	0.300	(3) कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 11/1 से 11/4 एवं 11/4 से 11/1 तक
588/6	0.200	(4) स.व.ख. सीमा रेखा मु.क. 18/1 से 18/4 एवं 18/4 से 18/1 तक
02	1.800	

1	2	3	4	5	6
	योग		08	102.975	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2 दिनांक 10-8-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur, the 10th August 2016

No. F 7-8/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Korba Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District-Korba Tehsil- Korba, Forest Division-Korba, Forest Range - Korba					
S.No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No.and Revenue Village where Block situated	Khasara Numbers	Area in Hectare	Situation/Limit
1	2	3	4	5	6
1	Sadhu Dongari OA-1313	7 Batati	500 631/1 588/1 119 45 549 588/6 589	5.801 7.000 35.000 21.000 0.024 9.000 25.000 0.150	**North** : Protected forest block Batati comptt. No.2228 boundary line pillar No.47 to artificial boundary line survey pillar No. 30 to 31 towards south, 31 to 32 towards east, 32 to 34 towards west, 34 to 36 towards north, 36 to 37 towards east, 37 to 38 towards north, 38 to 39 towards east, 39 to 40 towards south, 40 to 41 towards west, 41 to 42 towards south, 42 to 44 towards east, 44 to 45 towards south, 45 to 46 towards east and 46 to comptt. No. 2227 boundary line pillar No. 20. **East** : Protected forest block Batati comptt. No.2227 boundary line pillar No.20 to 14, 14 to 10, 10 to 5 and 5 to comptt. No.2226 boundary line pillar No. 2. **South** : Protected forest block Batati comptt. No.2226 boundary line pillar No.2 to artificial boundary line survey pillar No. 1 towards west. **West** : Artificial Boundary Line survey Pillar No. 1 to 2 towards north, 2 to 4 towards east, 4 to 6 towards north, 6 to 9 towards west, 9 to 10 towards east, 10 to 11 towards south, 11 to 12 towards east, 12 to 13 towards north, 13 to 14 towards west, 14 to 15 towards south, 15 to 16 towards west, 16 to 19 towards north, 19 to 20 towards west, 20 to 21 towards north, 21 to 22 towards west, 22 to 23 towards south, 23 to 26 towards west, 26 to 27 towards south, 27 to 28 towards west, 28 to 29 towards north and 29 to P.F. block Batati comptt. No. 2228 boundary line pillar

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>No. 54 to 47 Batati to Pasarkhet road passes between pillar No. 19 to 20 of the block.

Note:- Detail of boundary line by which forest right holder's certificate distributed land ringed inside the block.
<table>
<tr><td colspan="2">Detail of forest right holder</td><td rowspan="2">Boundary line Pillar No.</td></tr>
<tr><td>Khasara No.</td><td>Area in hact.</td></tr>
<tr><td>588/1</td><td>0.400</td><td rowspan="3">(1)Artificial boundary line survey pillar No. 21/1 to 21/4 and 21/4 to 21/1</td></tr>
<tr><td>588/1</td><td>0.400</td></tr>
<tr><td>588/1</td><td>0.300</td></tr>
<tr><td>588/6</td><td>0.200</td><td>(2)Artificial boundary line survey pillar No. 10/1 to 10/4 and 10/4 to 10/1</td></tr>
<tr><td>588/1</td><td>0.300</td><td>(3)Artificial boundary line survey pillar No. 11/1 to 11/4 and 11/4 to 11/1</td></tr>
<tr><td>588/6</td><td>0.200</td><td>(4) PF boundary line pillar No. 18/1 to 18/4 and 18/4 to 18/1</td></tr>
<tr><td>02</td><td>1.800</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Total :-</td><td>08</td><td>102.975</td><td></td></tr>
</table>

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-8/2015/10-2.—भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा (4) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा घोषित करती है, कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा

उपखण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, अर्थात :—

अनुसूची

<table>
<tr><td colspan="2">जिला:— कोरबा,</td><td colspan="2">तहसील:—कोरबा,</td><td colspan="2">वनमंडल:—कोरबा, वन परिक्षेत्र :— बालको</td></tr>
<tr><td>स.क्र.</td><td>वन खण्ड का नाम</td><td>पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम जहाँ वन खण्ड स्थित है</td><td>खसरा नंबर</td><td>क्षेत्रफल हेक्टेयर में</td><td>अवस्थिति / सीमाएं</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>1</td><td>कछार स
OA-1224</td><td>1
कछार</td><td>416
417
421/1
422
426/1
452/1
387
384
383
455
649
651
मसहाती</td><td>22.234
3.040
2.397
7.051
2.074
22.074
8.000
1.000
2.371
34.453
1.048
0.971
1.980</td><td>उत्तर— कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 144 से 1 उ. की ओर, 1 से 4 द. की ओर, 4 से 5 उ. की ओर और 5 से 8 तक द. की ओर । इस वनखंड की मु. क. 5 से लगभग 300 मीटर पर कक्ष क. 2130 की सीमा लाईन ।
पूर्व— कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 8 से 11 द. की ओर, 11 से 12 पू. की ओर, 12 से 14 द. की ओर, 14 से 15 प. की ओर, 15 से 16 द. की ओर, 16 से 17 एवं 17 से 21 द. की ओर, 21 से 25, 25 से 30 उ. की ओर, 30 से 31 प. की ओर 31 से 38 द. की ओर, 38 से 39 पू. की ओर, 39 से 41 द. की ओर, 41 से 44 प. की ओर, 44 से 48 तक द. की ओर। इस वनखंड की मु.क. 40 से लगभग 50 मीटर पर कक्ष क. 2143 सीमा लाईन
दक्षिण— कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 48 से 50 तक प. की ओर। इस वनखंड मु. क. 48 से 50 से लगभग 300 मीटर पर बहती हुई हसदेव नदी ।
पश्चिम— कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 50 से 52 उ. की ओर, 52 से 54 प. की ओर, 54 से 57 उ. की ओर, 57 से 58 पू. की ओर, 58 से 60 उ. की ओर, 60 से 61 प. की ओर, 61 से 64 उ. की ओर, 64 से 66 प. की ओर , 66 से 71 द. की ओर, 71 से 72 प. की ओर, 72 से 73 उ. की ओर, 73 से 74 प. की ओर, 74 से 76 द. की ओर, 76 से 79 उ. की ओर, 79 से 82 प. की ओर, 82 से 84 उ. की ओर, 84 से 85 प. की ओर, 85 से 90 उ. की ओर, 90 से 91 पू. की ओर, 91 से 95 उ. की ओर, 95 से 97 पू. की ओर, 97 से 101 उ. की ओर, 101 से 102 प. की ओर, 102 से 111 द. की ओर, 111 से 113 प. की ओर, 113 से 115 उ. की ओर, 115 से 116 प. की ओर, 116 से 118 उ. की ओर, 118 से 119 पू. की ओर, 119 से 120 उ. की ओर, 120 से 121 प. की ओर, 121 से 125 उ. की ओर, 125 से 126 प. की ओर, 126 से 130 द. की ओर, 130 से 131 एवं 131 से 132 एवं 132 से 139 उ. की ओर, 139 से 140 पू. की ओर, 140 से 141 उ. की ओर, 141 से 144 तक प. की ओर। इस वनखंड की मु.क. 126, 127, 128, 130 के पास से बहती हुई कछार नाला ।
नोट :— सीमा लाईन का विवरण जिसके द्वारा वन अधिकार पत्र प्राप्त वितरीत भूमि को, वनखंड के अंदर घेरा गया :—
<table><tr><td colspan="2">अधिकार पत्र प्राप्त</td><td rowspan="2">सीमा रेखा मुनारा क्रमांक</td></tr><tr><td>खसरा क्रमांक</td><td>रकबा हे.</td></tr><tr><td>416</td><td>0.200</td><td>(1) कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क.148/1 से 148/5 एवं 148/5 से 148/1 तक</td></tr><tr><td>416</td><td>0.884</td><td rowspan="2">(2) कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 2/1 से 2/5 एवं 2/5 से 2/1 तक</td></tr><tr><td>416</td><td>0.366</td></tr><tr><td>416</td><td>0.720</td><td>(3) कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क.1/1 से 1/4 एवं 1/4 से 1/1 तक</td></tr><tr><td>01</td><td>2.170</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">योग</td><td>12</td><td>108.693</td><td></td></tr>
</table>

1	भूलीपहरी OA-1243	3 सोनपुरी	11	10.500
			17/1	8.409
			13/1	2.500
			21	9.554
			30/1	77.000
			34/1	34.381
			36/1	35.800
			56/1	10.000
			61	15.500
			64	11.143
			80	12.500
			125	8.000
			172/1	11.500
			176/1	4.860
			323/1	17.300
			379/1	7.225
			606/1	12.000
			618/1	9.300
			633/1	9.500
			657/1	4.460
			661/1	8.100
			699	1.500
			717/1	4.000
			742	6.000
			745	2.000
			748	17.000
			760	4.500
			45	7.500
			28	362.032
		3 भटगांव	205/1	1.700
			334	26.400
			371/1क	18.500
			377/1	8.600
			379/2	4.300
			394	2.500
			395	1.700
			401/1	5.700
			402	6.913
			444/1	1.500
			10	77.813
		3 सरईपाली	मसाहती	72.500
			0	72.500
		3 जामबहार	202/1	13.000
			01	13.000
		3 रोगबहरी	4/1	5.000
			70/1	3.100
			130/1	6.700
			141/1	19.200
			146	0.485
			168/1	5.052
			288/1क	22.500
			07	62.037
		4 रूमगरा	144/1क	7.500
			611/1	3.000
			614/1	3.500
			618/1	4.000
			04	18.000

उत्तर– प्राकृतिक चुईया नाला की सीमा पर कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 16, 16 से 19, 19 से 20, 20 से 23, 23 से 25, 25 से 27, 27 से 28, 28 से 31, 31 से 32, 32 से 35, 35 से 36, 36 से 41, 41 से 45, 45 से 46, 46 से 49, 49 से 53, 53 से 55, 55 से 58, 58 से 60, 60 से 66, 66 से 70, 70 से 76, 76 से 80 तक । इस वनखंड की मु.क. 1, 2 एवं 35 से लगा हुआ चुईया नाला ।

पूर्व– कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 80 से 86, 86 से 91, 91 से 92, 92 से 94, 94 से 104, 104 से 105, 105 से 111, 111 से 114, 114 से 117,117 से 118, 118 से 119, 119 से 125 एवं 125 से 127, 127 से 130, 130 से 132 तक । इस वनखंड की मु.क. 94 से लगभग 50 मीटर पर सरईपाली ग्राम बस्ती एवं मु.क. 122, 123 तथा 135, 136 के मध्य से गुजरती हुई सरईपाली से रोगबहरी सड़क ।

दक्षिण– कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 132 से 133, 133 से 135, 135 से 137, 137 से 147, 147 से 155, 155 से 161, 161 से 163, 163 से 169, 169 से 170, 170 से 174, 174 से 175, 175 से 177, 177 से 185, 185 से 188, 188 से 191, 191 से 192, 192 से 195, 195 से 199, 199 से 200, 200 से 202, 202 से 203, 203 से 205, 205 से 206, 206 से 209, 209 से 210, 210 से 212, 212 से 216, 216 से 217, 217 से 218, 218 से 232 एवं 232 से 233, 233 से 235, 235 से 236, 236 से 237, 237 से 238, 238 से 239, 239 से 241, 241 से 244, 244 से 245, 245 से 248, 248 से 249, 249 से 252, 252 से 253, 253 से 258, 258 से 259, 259 से 263 तक। इस वनखंड की मु.क. 133 से लगभग 300 मीटर पर रोगबहरी ग्राम बस्ती एवं मु.क.255, 256 की मध्य से गुजरती हुई सोनगुढ़ा से रूमगरा सड़क ।

पश्चिम– कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 263 से 264, 264 से 265, 265 से 266, 266 से 267, 267 से 269, 269 से 271, 271 से 273, 273 से 274, 274 से 275, 275 से 277, 277 से 278, 278 से 280, 280 से 282, 282 से 283, 283 से 284, 284 से 285, 285 से 286, 286 से 287, 287 से 290, 290 से 292, 292 से 294, 294 से 295, 295 से 296, 296 से 297, 297 से 298, 298 से 300, 300 से 301, 301 से 304, 304 से 305, 305 से 308, 308 से 309, 309 से 314, 314 से 315, 315 से 316, 316 से 317, 317 से 320, 320 से 321, 321 से 322, 322 से 325, 325 से 326, 326 से 327, 327 से 328, 328 से 331, 331 से 333, 333 से 334, 334 से 335, 335 से 336, 336 से 338, 338 से 343, 343 से 344, 344 से 345, 345 से 349, 349 से 352, 352 से 353, 353 से 355, 355 से 357, 357 से 360, 360 से 361, 361 से 362, 362 से 365, 365 से 366,366 से 369,369 से 370,370 से 372, 372 से 373, 373 से 374, 374 से 376, 376 से 377, 377 से 378, 378 से 380, 380 से 384, 384 से 385, 385 से 386, 386 से 389, 389 से 391, 391 से 397, 397 से 402, 402 से 404, 404 से 407, 407 से 408, 408 से 411, 411 से 414, 414 से 415, 415 से 417, 417 से 418, 418 से 420, 420 से 421, 421 से 424, 424 से 426, 426 से 427, 427 से 432, 432 से 433, 433 से 434, 434 से 438, 438 से 443, 443 से 444, 444 से 445, 445 से 450, 450 से 452, 452 से 455, 455 से 458, 458 से 460, 460 से 462, 462 से 466, 466 से 467, 467 से 469, 469 से 472, 472 से 473, 473 से 475, 475 से 481, 481 से 482, 482 से 487, 487 से 488, 488 से 494, 494 से 495, 495 से 496, 496 से 497, 497 से 498, 498 से 499, 499 से 503, 503 से 504, 504 से 505, 505 से 506, 506 से 507, 507 से 508, 508 से 509, 509 से 515, 515 से 516, 516 से 517, 517 से 518, 518 से 519, 519 से 521, 521 से 523, 523 से 525, 525 से 531, 531 से 534, 534 से 536, 536 से 539, 539 से 541, 541 से 542, 542 से 545, 545 से 547 एवं 547 से प्राकृतिक चुईया नाला की सीमा पर कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क.1 तक । इस वनखंड की मु.क. 380 से लगभग 300 मीटर पर सोनपुरी ग्राम बस्ती एवं मु.क. 350, 351 तथा 363, 364 एवं 387, 388 के मध्य से गुजरती हुई सोनगुढ़ा से रूमगरा सड़क ।

नोट :– वनखण्ड के अंदर नीचे तालिका अनुसार कृषि भूमि के खसरा एवं रकबा सम्मिलित को कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा के द्वारा बाहर किया गया :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा	सर्वे मुनारा क.
भटगांव	396	0.320	9/1 से 9/8 एवं 9/8 से 9/1
	397	0.202	10/1 से 10/7 एवं 10/7 से

			10 / 1
सोनपुरी	34 / 2	0.608	2 / 1 से 2 / 4 एवं 2 / 4 से 2 / 1
	31	0.608	426 / 1 से 426 / 4 एवं 426 / 4 से 426 / 1
	132	0.202	526 / 1 से 526 / 5 एवं 526 / 5 से 526 / 1
	173	0.302	496 / 1 से 496 / 4 एवं 496 / 4 से 496 / 1
	759	0.132	201 / 1 से 201 / 4 एवं 201 / 4 से 201 / 1
योग	07	2.374	

2:— सीमा लाईन का विवरण जिसके द्वारा वन अधिकार पत्र प्राप्त वितरित भूमि को वनखंड के अंदर घेरा गया :—

अधिकार पत्र प्राप्त		सीमा रेखा मुनारा कमांक
खसरा कमांक	रकबा हे.	
31 / 1	0.150	1. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क.445 / 5 से 445 / 8 एवं 445 / 8 से 445 / 5 तक ।
31 / 1	0.429	
31 / 1	0.352	2. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क.445 / 1 से 445 / 4 एवं 445 / 4 से 445 / 1 तक ।
31 / 1	0.364	
176	0.126	3. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 493 / 1 से 493 / 4 एवं 493 / 4 से 493 / 1 तक ।
172	0.170	4. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 491 / 1 से 491 / 4 एवं 491 / 4 से 491 / 1 तक ।
172	0.186	5. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 500 / 1 से 500 / 4 एवं 500 / 4 से 500 / 1 तक ।
172	0.174	6. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 501 / 1 से 501 / 4 एवं 501 / 4 से 501 / 1 तक ।
125	0.251	7. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 484 / 1 से 484 / 4 एवं 484 / 4 से 484 / 1 तक ।
125	0.324	8. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 481 / 1 से 481 / 4 एवं 481 / 4 से 481 / 1 तक ।
125	0.223	9. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 488 / 1 से 488 / 4 एवं 488 / 4 से 488 / 1 तक ।
16 / 1	0.332	10. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 474 / 1 से 474 / 4 एवं 474 / 4 से 474 / 1 तक ।
19 / 1	0.546	11. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 463 / 1 से 463 / 4 एवं 463 / 4 से 463 / 1 तक ।
80 ,	0.316	12. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 459 / 1 से 459 / 4 एवं 459 / 4 से 459 / 1 तक ।
80	0.174	
31 / 1	0.121	13. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 454 / 1 से

								454/4 एवं 454/4 से 454/1 तक ।
						61	0.251	14. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 425/1 से 425/4 एवं 425/4 से 425/1 तक ।
						61	0.200	15. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 424/1 से 424/3 एवं 424/3 से 424/1 तक ।
						34/1	0.429	16. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 410/1 से 410/4 एवं 410/4 से 410/1 तक ।
						45	0.121	17. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 407/1 से 407/4 एवं 407/4 से 407/1 तक ।
						45	0.316	18. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 406/1 से 406/4 एवं 406/4 से 406/1 तक ।
						56/1	0.210	19. कृत्रिम सीमा रेखा . सर्वे मु.क. 402/1 से 402/4 एवं 402/4 से 402/1 तक ।
						661/1	0.251	20. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 365/1 से 365/4 एवं 365/4 से 365/1 तक ।
						661/1	0.210	21. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 364/1 से 364/4 एवं 364/4 से 364/1 तक ।
						34/1	0.429	22. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 421/1 से 421/4 एवं 421/4 से 421/1 तक ।
						657	0.142	23. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 354/1 से 354/4 एवं 354/4 से 354/1 तक ।
						657	0.429	24. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 351/1 से 351/4 एवं 351/4 से 351/1 तक ।
						202/1	0.429	25. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 343/1 से 343/4 एवं 343/4 से 343/1 तक ।
						618/1	0.251	26. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 339/1 से 339/4 एवं 339/4 से 339/1 तक ।
						618/1	0.316	27. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 340/1 से 340/4 एवं 340/4 से 340/1 तक ।
						618/1	0.053	28. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 341/1 से 341/4 एवं 341/4 से 341/1 तक ।
						618/1	0.494	29. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 342/1 से 342/4 एवं 342/4 से 342/1 तक ।
						618/1	0.210	30. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 325/1 से 325/4 एवं 325/4 से 325/1 तक ।
						618/1	0.045	31. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 324/1 से 324/4 एवं 324/4 से 324/1 तक ।
						618/1	0.304	32. कृत्रिम सीमा रेखा

							सर्वे मु.क. 322/1 से 322/4 एवं 322/4 से 322/1 तक ।
					618/1	0.182	33. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 321/1 से 321/4 एवं 321/4 से 321/1 तक ।
					618/1	0.470	34. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 321/5 से 321/8 एवं 321/8 से 321/5 तक ।
					618/1	0.429	35. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 330/1 से 330/4 एवं 330/4 से 330/1 तक ।
					606/1	0.429	36. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 310/1 से 310/4 एवं 310/4 से 310/1 तक ।
					606/1	0.251	37. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 309/1 से 309/4 एवं 309/4 से 309/1 तक ।
					606/1	0.263	38. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 309/5 से 309/8 एवं 309/8 से 309/5 तक ।
					606/1	0.073	39. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 308/1 से 308/4 एवं 308/4 से 308/1 तक ।
					323/1	0.085	40. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 291/1 से 291/4 एवं 291/4 से 291/1 तक ।
					323/1	0.453	41. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 293/1 से 293/4 एवं 293/4 से 293/1 तक ।
					323/1	0.251	42. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 289/1 से 289/4 एवं 289/4 से 289/1 तक ।
					323/1	0.186	43. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 284/1 से 284/4 एवं 284/4 से 284/1 तक ।
					323/1	0.202	44. कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 288/1 से 288/4 एवं 288/4 से 288/1 तक ।
					17	**12.622**	
		योग	50	605.382			
		महायोग	**62**	**714.075**			

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2 दिनांक 10-8-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur, the 10th August 2016

No. F 7-8/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Korba Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District-Korba, Tehsil-Korba, Forest Division-Korba, Forest Range-Balco

S.No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No.and Revenue Village where Block situated	Khasara Numbers	Area in Hectare	Situation/Limit
1	2	3	4	5	6
1	Kachar OA-1224	1 Kachhar	416 417 421/1 422 426/1 452/1 387 384 383 456 649 651 Unsurveyed Land	22.234 3.040 2.397 7.061 2.074 22.074 8.000 1.000 2.371 34.453 1.048 0.971 1.980	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 144 to 1 towards north, 1 to 4 towards south, 4 to 5 towards north, 5 to 8 towards south. P 2130 boundary line is situated 300 mt. far from the pillar No. 5 of the block. **East :** Artificial boundary line survey pillar No. 8 to 11 towards south, 11 to 12 towards east, 12 to 14 towards south, 14 to 15 towards west, 15 to 16 towards south, 16 to 17 and 17 to 21 towards south, 21 to 25, 25 to 30 towards north, 30 to 31 towards west, 31 to 38 towards south. 38 to 39 towards east, 39 to 41 towards south, 41 to 44 towards west, 44 to 48 towards south. P 2142 boundary line is situated 50 mt. far from the pillar No. 40 of the block. **South :** Artificial boundary line survey pillar No. 48 to 50 towards west. Hasdeo river flows 300 mt. far from the pillar No. 48 and 50 of the block. **West :** Artificial boundary line survey pillar No. 50 to 52 towards north, 52 to 54 towards west, 54 to 57 towards north, 57 to 58 towards east, 58 to 60 towards north, 60 to 61 towards west, 61 to 64 towards north, 64 to 66 towards west, 66 to 71 towards south, 71 to 72 towards west, 72 to 73 towards north, 73 to 74 towards west, 74 to 76 towards south, 76 to 79 towards north, 79 to 82 towards west, 82 to 84 towards north, 84 to 85 towards west, 85 to 90 towards north, 90 to 91 towards east, 91 to 95 towards north, 95 to 97 towards east, 97 to 101 towards north, 101 to 102 towards west, 102 to 111 towards south, 111 to 113 towards west, 113 to 115 towards north, 115 to 116 towards west, 116 to 118 towards north, 118 to 119 towards east, 119 to 120, 120 to 121 towards west, 121 to 125 towards north, 125 to 126 towards west, 126 to 130 towards south, 130 to 131 and 131 to 132 and 132 to 139 towards north, 139 to 140 towards east, 140 to 141

					towards north, 141 to 144 towards west. Kachar nala flows near the pillar No.126, 127, 128, 130 of the block. **Note :-** Detail of boundary line by which forest right holder's certificate distributed land ringed inside the block.
	Total :-		12	108.693	

Detail of forest right holder		Boundary line pillar No.
Khasara No.	Area in Hact.	
416	0.720	1. Artificial pillar No. 148/1 to 148/5 and 148/5 to 148/1.
416	0.884	2. Artificial pillar No. 2/1 to 2/5 and 2/5 to 2/1.
416	0.366	
416	0.720	3. Artificial pillar No. 1/1 to 1/4 and 1/4 to 1/1.
01	2.170	

1	2	3	4	5	6
1	Bhulipahari OA-1243	3 Sonpuri	11 17/1 13/1 21/1 30/1 34/1 36/1 56/1 61 64 80 125 172/1 176/1 323/1 379/1 606/1 618/1 633/1 657/1 661/1 699 717/1 742 745 748 760 45	10.500 8.409 2.500 9.554 77.000 34.381 35.800 10.000 15.500 11.143 12.500 8.000 11.500 4.860 17.300 7.225 12.000 9.300 9.500 4.460 8.100 1.500 4.000 6.000 2.000 17.000 4.500 7.500	**North :** Natural boundary line chuiya nala artificial boundary line survey pillar No. 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 to 16, 16 to 19, 19 to 20, 20 to 23, 23 to 25, 25 to 27, 27 to 28, 28 to 31, 31 to 32, 32 to 35, 35 to 36, 36 to 41, and 41 to 45, 45 to 46, 46 to 49, 49 to 53, 53 to 55, 55 to 58, 58 to 60, 60 to 66, 66 to 70, 70 to 76, 76 to 80. Chuiya nala flows near pillar No. 1, 2 and 35 of the block. **East :** Artificial boundary line survey pillar No. 80 to 86, 86 to 91, 91 to 92, 92 to 94, 94 to 104, 104 to 105, 105 to 111, 111 to 114, 114 to 117, 117 to 118, 118 to 119, 119 to 125 and 125 to 127, 127 to 130, 130 to 132. Saraipali gram village is situated 50 mt. far from the pillar No. 94 and Saraipali to Rogbahari road passes between pillar No. 122, 123 and 135, 136 of the block. **South :** Artificial boundary line survey pillar No. 132 to 133, 133 to 135, 135 to 137, 137 to 147, 147 to 155, 155 to 161, 161 to 163, 163 to 169, 169 to 170, 170 to 174, 174 to 175, 175 to 177, 177 to 185, 185 to 188, 188 to 191, 191 to 192, 192 to 195, 195 to 199, 199 to 200, 200 to 202, 202 to 203, 203 to 205, 205 to 206, 206 to 209, 209 to 210, 210 to 212, 212 to 216, 216 to 217, 217 to 218, 218 to 232 and 232 to 233, 233 to 235, 235 to 236, 236 to 237, 237 to 238, 238 to 239, 239 to 241, 241 to 244, 244 to 245, 245 to 248, 248 to 249, 249 to 252, 252 to 253, 253 to 258, 258 to 259, 259 to 263. Rpgbahari gram village is situated 300 mt. far from the pillar No. 133 and Songuna to Rumgara road passes between pillar No. 255 to 256 of the block.
			28	362.032	
		3 Bhatgaon	205/1 334 371/1k 377/1 379/k 394 395 401/1 402 444/1 k	1.700 26.400 18.500 8.600 4.300 2.500 1.700 5.700 6.913 1.500	**West :** Artificial boundary line survey pillar No. 263 to 264, 264 to 265, 265 to 266, 266 to 267, 267 to 269, 269 to 271, 271 to 273, 273 to 274, 274 to 275, 275 to 277, 277 to 278, 278 to 280, 280 to 282, 282 to 283, 283 to 284, 284 to 285, 285 to 286, 286 to 287, 287 to 290, 290 to 292, 292 to 294, 294 to 295, 295 to 296, 296 to 297, 297 to 298, 298 to 300, 300 to 301, 301 to 304, 304 to 305, 305 to 308, 308 to 309, 309 to 314, 314 to 315, 315 to 316, 316 to 317, 317 to 320, 320 to 321, 321 to 322, 322 to 325, 325 to 326, 326 to 327, 327 to 328, 328 to 331, 331 to 333, 333 to 334, 334 to 335, 335 to 336, 336 to 338, 338 to 343, 343 to 344, 344 to 345, 345 to 349, 349 to 352, 352 to 353, 353 to 355, 355 to 357, 357 to 360, 360 to 361, 361 to 362, 362 to 365, 365 to 366, 366 to 369, 369 to 370, 370 to 372, 372 to 373, 373 to 374, 374 to 376, 376 to 377, 377 to 378, 378 to 380, 380 to 384, 384 to
			10	77.613	
		3 Saraipali	Unsurveyed	72.500	

3 Jambahar	0	72.500		385, 385 to 386, 386 to 389, 389 to 391, 391 to 397, 397 to 402, 402 to 404, 404 to 407, 407 to 408, 408 to 411, 411 to 414, 414 to 415, 415 to 417, 417 to 418, 418 to 420, 420 to 421, 421 to 424, 424 to 426, 426 to 427, 427 to 432, 432 to 433, 433 to 434, 434 to 438, 438 to 443, 443 to 444, 444 to 445, 445 to 450, 450 to 452, 452 to 455, 455 to 458, 458 to 460, 460 to 462, 462 to 466, 466 to 467, 467 to 469, 469 to 472, 472 to 473, 473 to 475, 475 to 481, 481 to 482, 482 to 487, 487 to 488, 488 to 494, 494 to 495, 495 to 496, 496 to 497, 497 to 498, 498 to 499, 499 to 503, 503 to 504, 504 to 505, 505 to 506, 506 to 507, 507 to 508, 508 to 509, 509 to 515, 515 to 516, 516 to 517, 517 to 518, 518 to 519, 519 to 521, 521 to 523, 523 to 525, 525 to 531, 531 to 534, 534 to 536, 536 to 539, 539 to 541, 541 to 542, 542 to 545, 545 to 547, 547 to natural boundary line Chuiya nala artificial boundary line survey pillar No. 1 Sonpuri gram village is situated 300 mt. far from the pillar No. 380 and Songuna to Rumgara road passes between pillar No. 350 to 351 and 363 to 364 and 387 to 388 of the block.
	202/1	13.000		
	01	13.000		
3 Rog bahari	4/1	5.000		
	70/1	3.100		
	130/1	6.700		
	141/1	19.200		
	146	0.485		
	168/1	5.052		
	288/1 k	22.500		
	07	62.037		
4 Rumgara	144/1 k	7.500		
	611/1	3.000		
	614/1	3.500		
	618/1	4.000		
	04	18.000		

Note :- In this block agriculture land has been ringed out by artificial boundary line survey pillar as given below in the table:-

Village	K.No.	area in hac.	Survey Pillar No.
Bhatgoan	396	0.320	8/1 to 8/8 and 8/8 to 8/1
	397	0.202	9/1 to 9/7 and 9/7 to 7/1
Sonpuri	34/2	0.608	2/1 to 2/4 and 2/4 to 2/1
	31	0.608	426/1 to 426/4 and 426/4 to 426/1
	132	0.202	526/1 to 526/5 and 526/5 to 526/1
	173	0.302	496/1 to 496/4 and 496/4 to 496/1
	759	0.132	201/1 to 201/4 and 201/4 to 201/1
	07	**2.374**	

Note :- Detail of boundary line by which forest right holder's certificate distributed land ringed inside the block.

Detail of forest right holder		Boundary line pillar No.
Khasara No.	Area in Hact.	
31/1	0.150	1. Artificial Pillar No. 445/5 to 445/8 & 445/8 to 445/5.
31/1	0.429	
31/1	0.352	2. Artificial Pillar No. 445/1 to 445/4 & 445/4 to 445/1.
31/1	0.364	
176	0.126	3. Artificial Pillar No. 493/1 to 493/4 & 493/4 to 493/1.
172	0.170	4. Artificial Pillar No. 491/1 to 491/4 & 491/4 to 491/1.

						172	0.186	5. Artificial Pillar No. 500/1 to 500/4 & 500/4 to 500/1.	
						172	0.174	6. Artificial Pillar No. 501/1 to 501/4 & 501/4 to 501/1.	
						125	0.251	7. Artificial Pillar No. 484/1 to 484/4 & 484/4 to 484/1.	
						125	0.324	8. Artificial Pillar No. 481/1 to 481/4 & 481/4 to 481/1.	
						125	0.223	9. Artificial Pillar No. 488/1 to 488/4 & 488/4 to 488/1.	
						16/1	0.332	10. Artificial Pillar No. 474/1 to 474/4 & 474/4 to 474/1.	
						19/1	0.546	11. Artificial Pillar No. 463/1 to 463/4 & 463/4 to 463/1.	
						80	0.316	12. Artificial Pillar No. 459/1 to 459/4 & 459/4 to 459/1.	
						80	0.174		
						31/1	0.121	13. Artificial Pillar No. 454/1 to 454/4 & 454/4 to 454/1.	
						61	0.251	14. Artificial Pillar No. 425/1 to 425/4 & 425/4 to 425/1.	
						61	0.200	15. Artificial Pillar No. 424/1 to 424/3 & 424/3 to 424/1.	
						34/1	0.429	16. Artificial Pillar No. 410-1 to 410/4 & 410/4 to 410/1.	
						45	0.121	17. Artificial Pillar No. 407/1 to 407/4 & 407/4 to 407/1.	
						45	0.316	18. Artificial Pillar No. 406/1 to 406/4 & 406/4 to 406/1.	
						56/1	0.210	19. Artificial Pillar No. 402/1 to 402/4 & 402/4 to 402/1.	
						661/1	0.251	20. Artificial Pillar No. 365/1 to 365/4 & 365/4 to 365/1.	
						661/1	0.210	21. Artificial Pillar No. 364/1 to 364/4 & 364/4 to 364/1.	
						34/1	0.429	22. Artificial Pillar No. 421/1 to 421/4 & 421/4 to 421/1.	
						657	0.142	23. Artificial Pillar No. 354/1 to 354/4 & 354/4 to 354/1.	
						657	0.429	24. Artificial Pillar No. 351/1 to 351/4 & 351/4 to 351/1.	
						202/1	0.429	25. Artificial Pillar No. 343/1 to 343/4 & 343/4 to 343/1.	
						618/1	0.251	26. Artificial Pillar No. 339/1 to 339/4 & 339/4 to 339/1.	
						618/1	0.316	27. Artificial Pillar No. 340/1 to 340/4 & 340/4 to 340/1.	
						618/1	0.053	28. Artificial Pillar No. 341/1 to 341/4 &	

								341/4 to 341/1.
						618/1	0.494	29. Artificial Pillar No. 342/1 to 342/4 & 342/4 to 342/1.
						618/1	0.210	30. Artificial Pillar No. 325/1 to 325/4 & 325/4 to 325/1.
						618/1	0.045	31. Artificial Pillar No. 324/1 to 324/4 & 324/4 to 324/1.
						618/1	0.304	32. Artificial Pillar No. 322/1 to 322/4 & 322/4 to 322/1.
						618/1	0.182	33. Artificial Pillar No. 321/1 to 321/4 & 321/4 to 321/1.
						618/1	0.470	34. Artificial Pillar No. 321/5 to 321/8 & 321/8 to 321/5.
						618/1	0.429	35. Artificial Pillar No. 330/1 to 330/4 & 330/4 to 330/1.
						606/1	0.429	36. Artificial Pillar No. 310/1 to 310/4 & 310/4 to 310/1.
						606/1	0.251	37. Artificial Pillar No. 309/1 to 309/4 & 309/4 to 309/1.
						606/1	0.283	38. Artificial Pillar No. 309/5 to 309/8 & 309/8 to 309/5.
						606/1	0.073	39. Artificial Pillar No. 308/1 to 308/4 & 308/4 to 308/1.
						323/1	0.085	40. Artificial Pillar No. 291/1 to 291/4 & 291/4 to 291/1.
						323/1	0.453	41. Artificial Pillar No. 293/1 to 293/4 & 293/4 to 293/1.
						323/1	0.251	42. Artificial Pillar No. 289/1 to 289/4 & 289/4 to 289/1.
						323/1	0.186	43. Artificial Pillar No. 284/1 to 284/4 and 284/4 to 284/1.
						323/1	0.202	44. Artificial Pillar No. 288/1 to 288/4 and 288/4 to 288/1.
						17	**12.622**	
		Total	60	605.382				
		G Total	62	714.075				

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-8/2015/10-2.—भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा (4) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा घोषित करती है, कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा उपखण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, अर्थात :—

अनुसूची

जिला:- कोरबा,		तहसील:-कोरबा,			वनमंडल:-कोरबा, वन परिक्षेत्र :- पसरखेत
स.क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम जहाँ वन खण्ड स्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति / सीमाएं
1	2	3	4	5	6
1	भालूमाड़ा	12 बासीन	277 276 462 259/1 260 265 अ.ह. 274 अ.ह.	42.635 5.590 3.037 19.601 6.045 0.202 0.170	उत्तर— कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 10 से 12 पू. की ओर, 12 से 13 उ. की ओर एवं 13 से संरक्षित वनखंड पश्चिम गिरारी कक्ष क. 2302 सीमा रेखा मु.क. 14 एवं 14 से प्राकृतिक सीमा रेखा दवन नाला तक। पूर्व— प्राकृतिक सीमा रेखा दवन नाला से संरक्षित वनखंड तराईमारडीह कक्ष क. 2379 सीमा रेखा मु.क. 27 तक । दक्षिण— संरक्षित वनखंड तराईमारडीह कक्ष क. 2379 सीमा रेखा मु.क. 27 से 22 द. की ओर, 22 से 20 तक प. की ओर । पश्चिम—संरक्षित वनखंड तराईमारडीह कक्ष क. 2379 सीमा रेखा मु.क. 20 से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क. 1 एवं 1 से 3 उ. की ओर, 3 से 5 प. की ओर, 5 से 7, 7 से 10 तक उ. की ओर । इस वनखंड की मु.क. 7 से लगभग 300 मी. की दूरी पर बासीन बस्ती ।
	योग		07	77.280	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2 दिनांक 10-8-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur, the 10th August 2016

No. F 7-8/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Korba Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District-Korba, Tehsil-Korba, Forest Division-Korba, Forest Range-Pasarkhet

S.No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No.and Revenue Village where Block situated	Khasara Numbers	Area in Hectare	Situation/Limit
1	2	3	4	5	6
1	Bhalu mada	12 Basin	277 278 462 259/1 260 265 u t 274 u t	42.635 5.590 3.037 19.601 6.046 0.202 0.170	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 10 to 12 towards east, 12 to 13 towards north, and 13 to protected Forest block west Girari comptt. No. 2302 boundary line pillar No. 14 and 14 to natural boundary line Dawan nala. **East :** Natural boundary line Dawan nala protected Forest block Taraimardih comptt. No. 2379 boundary line pillar No. 27. **South :** Protected forest block Taraimardih comptt. No. 2379 boundary line pillar No. 27 to 22 towards south, 22 to 20 towards west. **West :** Protected forest block Taraimardih comptt. No. 2379 boundary line pillar No. 20 to artificial boundary line survey pillar No. 1 and 1 to 3 towards north, 3 to 5 towards west, 5 to 7, 7 to 10 towards north. Basin village situated 300 mt. far from the pillar No. 7 of the block.
	Total :-		07	77.280	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-8/2015/10-2.—भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा (4) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा घोषित करती है, कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा उपखण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, अर्थात :—

अनुसूची

जिला-कोरबा, तहसील-कटघोरा, वनमंडल - कटघोरा, वन परिक्षेत्र - पसान

स.क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नम्बर एवं राजस्व ग्राम जहाँ वन खण्ड स्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति / सीमाएं
1	2	3	4	5	6
1	पिपरिया	03 पिपरिया	471 474 572/1 894 511 854/1 867 873 924 918 921 481 883	126.987 80.916 50.960 105.650 12.165 110.205 4.047 48.000 79.225 50.520 4.045 12.000 6.070	उत्तर—कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु. क्र. 17 से 20 द. की ओर, 20 से 21 प. की ओर, 21 से 22 द. की ओर, 22 से 23 पू. की ओर, 23 से 25 द. की ओर, 25 से 26 प. की ओर, 26 से 29 द. की ओर, 29 से 34 पू. की ओर, 34 से 42 द. की ओर, 42 से 45 उ. की ओर, 45 से 50 पू. की ओर, 50 से 57 उ. की ओर, 57 से 59 पू. की ओर, 59 से 70, 70 से 76 उ. की ओर, 76 से 81 पू. की ओर, 81 से 87 द. की ओर, 87 से 91 पू. की ओर, 91 से 98 उ. की ओर, 98 से 101 तक पू. की ओर, । पूर्व —कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्रमांक 101 से हसदेव नदी सीमा पर कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्रमांक 102 एवं 102 से 109 तक द. की ओर । दक्षिण—कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु. क्र. 109 से 113 प. की ओर, 113 से 119 उ. की ओर, 119 से 125 प. की ओर, 125 से 127 द. की ओर, 127 से 129 प. की ओर, 129 से 133 उ. की ओर, 133 से 140 पू. की ओर, 140 से 142 उ. की ओर, 142 से 145 पू. की ओर, 145 से 148 द. की ओर, 148 से 161 पू. की ओर, 161 से 163 उ. की ओर, 163 से 169 पू. की ओर, 169 से 172 उ. की ओर, 172 से 174 प. की ओर, 174 से 176 उ. की ओर, 176 से 177 द. की ओर, 177 से 183 उ. की ओर, 183 से 186 प. की ओर,186 से 198 द. की ओर, 191 से 201 प. की ओर, 201 से 203 द. की ओर, 203 से 207 पू. की ओर, 207 से

					210 द. की ओर, 210 से 227 प. की ओर, 227 से 236 तक द. की ओर । **पश्चिम** :– कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क्र. 236 से 240 प. की ओर एवं 240 से प्राकृतिक करई नाला से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क्र. 241 से 1 उ. की ओर, 1 से 7 पूर्व की ओर, 7 से 10, 10 से 17 तक उ. की ओर । टीप :–वन खण्ड के अंदर नीचे तालिका अनुसार कृषि भूमि को खसरा एवं रकबा के घडी के विपरित दिशा से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मु.क्र. द्वारा बाहर किया गया –

ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा हे. में.	सर्वे मुनारा क्रमांक
पिपरिया	572/2 509 508	0.850 1.590 1.750	56/1 से 56/4 एवं 56/4 से 56/1, 60/1 से 60/13 एंव 60/13 से 60/1, 52/1 से 52/11 एवं 52/11 से 52/1
योग	03	4.190	

	योग	13	690.790	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2013/10-2 दिनांक 10-8-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur, the 10th August 2016

No. F 7-8/2013/10-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with khasra number and area as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and

within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Katghora Sub Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act, namely :—

SCHEDULE

District-Korba, Tehsil-Katghora, Forest Division-Katghora, Forest Range-Pasan

S.No.	Name of Forest Block	Patwari Halka No.and Revenue Village where Block situated	Khasara Numbers	Area in Hectare	Situation/Limit
1	2	3	4	5	6
1	Piparia	03 Piparia	471 474 572/1 894 511 854/1 867 873 924 918 921 481 883	126.987 80.916 50.960 105.650 12.165 110.205 4.047 48.000 79.225 50.520 4.045 12.000 6.070	**North :** Artificial boundary ling survery pillar No. 17 to 20 towards south, 20 to 21 towards west, 21 to 22 towards south,22 to 23 towards east, 23 to 25 towards south, 25 to 26 towards west, 26 to 29 towards south, 29 to 34 towards east, 34 to 42 towards south, 42 to 45 towards north, 45 to 50 towards east, 50 to 57 towards north, 57 to 59 towards east, 69 to 70, 70 to 76 towards north, 76 to 81 towards south, towards east, 81 to 87 towards south, 87 to towards east, 91 to 98 towards north, 98 to 101 towards east, **East :** Artificial Boundary Line survey Pillar No. 101 to hasdey river boundary on Artificial Boundary Line survey Pillar No.102 & 102 to 109 towards south. **South :** Artificial Boundary Line survey Pillar No. 109 to 113 towards west,

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>113 to 119 towards north, 119 to 125 towards west, 125 to 127 towards west, 129 to 133 towards north, 133 to 140 towards east, 140 to 142 towards north, 142 to 145 towards east, 145 to 148 towards south, 148 to 161 towards east , 161 to 163 towards north, 163 to 169 towards east, 169 to 172 towards north, 172 to 174 towards west, 174 to 176 towards , north, 176 to 177 towards south, 177 to 183 towards north, 183 to 186 towards west, 186 to 198 towards south, 198 to 201 towards west, 201 to 203 towards south, 203 to 207 towards east, 207 to 210 towards south, 210 to 227 towards west, 227 to 236 towards south,

West : Artificial Boundary Line survey Pillar No. 236 to 240 towards west, & 240 to Natural Karai Nala to Artificial Boundary Line survey Pillar No. 241 & 241 to 1 towards north, 1 to 7 towards east, 7 to 10, 10 to 17 towards north,

<table>
<tr><th>Village</th><th>Khat orara</th><th>Area</th><th>Aurvey Pillar No</th></tr>
<tr><td>Piparia</td><td>572/2
509
508</td><td>0.850
1.590
1.750</td><td>56/1 to 56/4 & 56/4 to 56/1, 60/1 to 60/13 & 60/13 to 60/1, 52/1 to 52/11 & 52/11 to 52/1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>03</td><td>4.190</td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">Total :-</td>
<td>13</td>
<td>690.790</td>
<td></td>
</tr>
</table>

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 10 अगस्त 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/70/11 अ/82 वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	तुरकीनडीह प.ह.नं. 22	0.024	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोक वितरक शाखा क्रमांक 01 नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 10 अगस्त 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/70/13 अ/82 वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	मोहतरा प.ह.नं. 28	1.006	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोक मुख्य नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 10 अगस्त 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/70/14 अ/82 वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	खपराडीह प.ह.नं. 26	0.088	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोक वितरक शाखा क्रमांक 05 के नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 अगस्त 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-छिंदभौना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.242 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	16/3	0.242
योग	1	0.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत डुबान हेतु पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.